प्रकाशन क्र....

शासकीय उपयोग हेतु

बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रतिवेदन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, सरगुजा-अम्बिकापुर (छ.ग.)

बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रतिवेदन

मार्गदर्शन : **डॉ. टी. राधाकृष्णन**, आई.ए.एस.
निर्देशन : **श्री बलभद्र राम**, उप संचालक
संकलन एवं लेखन : **जी. एल. बलेन्दर**, अनुसंधान सहायक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई, सरगुजा-अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्रं	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमाँक
1		प्रस्तावना	1
2	अध्याय – एक	सामान्य–परिचय	2–10
3	अध्याय – दो	अध्ययन क्षेत्र एवं प्रविधि	11–15
4	अध्याय – तीन	भौतिक संस्कृति	16–27
5	अध्याय – चार	जीवन चक्र	28–33
6	अध्याय – पाँच	धार्मिक जीवन	34–38
7	अध्याय – छः	लोक परम्पराएं	39–42
8	अध्याय – सात	सामाजिक संरचना	43–45
9	अध्याय – आठ	राजनैतिक संगठन	46–47
10	अध्याय–नौ	आर्थिक जीवन	48–60
11	अध्याय– दस	शैक्षणिक स्थितियां	61–62
12	अध्याय – ग्यारह	सामाजिक परिवर्तन	63–65
13	अध्याय– बारह	समस्या एवं सुझाव	66–69

प्रस्तावना

भूमिका :–

बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ व जनशपुर में निवास करती है। यह जनजाति समाज के अन्य जनजातियों से अलग निवास करती है। जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। सरकार द्वारा इन्हें समाज की मुख्यधार में लाने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु बिरहोर विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय जशपुर जिले में है। भारत सरकार द्वारा पृथक से राशि इनके विकास हेतु आबंटित करती है तथा शासन द्वारा योजना बनाकर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय इकाई अम्बिकापुर (छ.ग.) के पत्र क्र./टी.आर.आई/अनु.सर्वे./2014/106 अम्बिकापुर, दिनांक 22/05/2014 के द्वारा बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। उक्त आदेश के परिपालन में बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

पृष्ठ भूमि :–

भारत के आदिकालीन निवासी आदिवासी समूह के लोग थे। इसके द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता से गुजरते हुये, पशुपालन और कृषि के विकास की अवस्था तक विकसित होने के बाद द्रविड़ों ने इन पर आक्रमण किया। द्रविड़ अस्त्र–शस्त्र तथा युद्ध कौशल में उन्नत थे, अतः भारत के आदि निवासी द्रविड़ों से हार गये तथा भागकर घने जंगलों, तराईयों, घाटियों में चले गये, वहां अलग–अलग स्थानों में बस गये। विकास की गति इन दुर्गम स्थानों में नहीं पहुंच पाई और ये विकास की गति में काफी पिछड़ गये, इन्ही आदिवासियों को आदिम जाति या आदिवासी या वन्य जाति कहा गया। भारत की आजादी के बाद इन्हें समाज की मुख्यधार में जोड़ने हेतु ऐसे जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी जाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकते है। बिरहोर जनजाति आज भी विकास की मुख्यधार से कोसो दूर है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विकास की धारा में जोड़ने के लिए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गयी है।

अध्याय - एक

सामान्य परिचय

1.1 छत्तीसगढ़ संक्षिप्त परिचय :–

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17॰46 उत्तरी अक्षांश में 24 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80. 15 पूर्वी देशांतर से 84.20 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 135 191 वर्ग किलोमीटर है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है।

1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आए भारत का 26 वें नवोदित राज्य छ.ग. में मूलतः 16 जिले थे। वर्तमान समय में राज्य में जिलों की कुल संख्या 27 है। राज्य के ये 27 जिले 5 संभागों (बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग) के अंतर्गत आते है।

छ.ग. के भौगोलिक विस्तार में अनेक असमानताएं विद्यमान है। इसके उत्तरी भाग में कोरिया, सरगुजा, तथा जशपुर जिलों में व पर्वतमालाओं एवं पठार का विस्तार है। मैकाल पर्वत श्रेणी कवर्धा जिले में दक्षिण–पूर्व तक विस्तृत है। पूर्वी भाग में सत्ती पर्वत लगभग महानदी कछार तक फैला है। रायगढ़ जिला महानदी के उपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पसड़ी मैदान में विभक्त है। दुर्ग और राजनांदगांव छ.ग. मैदान और मैकल श्रेणी में विभक्त है। बस्तर का अधिकांश भाग पठारी है।

1.2 जनसंख्या :–

छ.ग. राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1,28,32,895 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,27,12,303 है।

1.3 जनसंख्या घनत्व :–

छ.ग. राज्य की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना के आधार पर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है।

1.4 जनसंख्या वृद्धि दर :–

छ.ग. राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर

(2001–2011) में 22.6 प्रतिशत है।

1.5 लिंगानुपात :–

लिंगानुमात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुमात को प्रदर्शित करता है, सन् 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

1.6 साक्षरता :–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. की सम्पूर्ण साक्षरता 70.3 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों की साक्षरता 80.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 60.2 प्रतिशत है।

1.7 नगरीकरण :–

नगरीकरण से तात्पर्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। छ.ग. की जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में वितरित है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या 5,93,7,237 है। यह कुल जनसंख्या का 23. 2 प्रतिशत है।

1.8 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियां :–

ऐसे जनजातियां जिन्हे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है अनुसूचित जनजाति कहलाते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित घोषित कर सकते है। छ.ग. में अनुसूचित जनजातीय समूहों की संख्या 42 है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 7,82,2,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक–तिहाई जनसंख्या सभी जिले में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पायी जाती है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में इन जातियों का वितरण समान रूप से नहीं है। ये जनजातियाँ आमतौर पर पहाड़ी तथा वनाच्छादित क्षेत्रों में अधिक रहते है।

तालिका 1.8 जिलेवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011)

क्र.	जिला	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिला	अनु.ज.जा. प्रतिशत
1	सरगुजा	1300628	652799	647829	55.11%
2	बस्तर	931780	456841	474939	65.93%
3	जशपुर	530378	262731	267647	62.28%
4	रायगढ़	505609	250473	255136	33.84%
5	बिलासपुर	498469	248172	250297	18.71%
6	कोरबा	493559	246323	247236	40.90%
7	रायपुर	476446	235271	241175	11.72%
8	कांकेर	414770	203934	210836	55.38%
9	दन्तेवाड़ा	410255	199731	210524	76.88%
10	राजनांदगांव	405194	198032	207162	26.36%
11	दुर्ग	397416	196008	201408	11.88%
12	कोरिया	304280	152659	151621	46.18%
13	महासमुंद	279896	137339	142557	27.10%
14	धमतरी	207633	102058	105575	25.96%
15	बीजापुर	204189	101519	102670	80.00%
16	जंजगीर–चांपा	187196	93186	94010	11.56%
17	कवर्धा	167043	82597	84446	20.31%
18	नारायणपुर	108161	53518	54643	77.36%
	योग	**7822902**	**3873191**	**3949711**	**30.60%**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी सरगुजा जिलें में तथा सबसे कम आबादी नारायणपुर जिलें में है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक ओर जहां बीजापुर जिलें की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 80.00 प्रतिशत है वहीं जांजगीर–चांपा जिले में यह मात्र 11.56 प्रतिशत ही है। राज्य के 7 जिलों–दन्तेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर, सरगुजा, बीजापुर एवं नारायणपुर में आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

1.9 जनजातियों का संकेन्द्रण :–

छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में बांटा जा सकता है :–

1. उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र – इसमें कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर मुंगेली तथा जांजगीर चांपा जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां– गोड़, कंवर, कोरवा, बिरहोर, उरांव, खैरवार, बिझंवार, कोडार तथा भैना है।
2. मध्यवर्ती भाग – इस क्षेत्र में रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा जिले है यह क्षेत्र कमार, हल्बा, भतरा, सोता, सोनता तथा बिझंवार आदि जनजातियों का निवास क्षेत्र है।
3. दक्षिणी क्षेत्र – दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा कांकेर जिले शामिल है इस क्षेत्र में गोड़, माड़िया, मुडिया, हल्बा, अबूझमाड़िया, परजा, गदबा तथा भतरा आदि जनजातियां पाई जाती है।

1.10 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां :–

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है जो निम्नानुसार है

:1.	बैगा	:	कवर्धा, बिलासपुर।
2.	पहाड़ी कोरवा	:	कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जशपुर
3.	बिरहोर	:	जशपुर, रायगढ़
4.	अबुझमाड़िया	:	नारायणपुर
5.	कमार	:	गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बलौदाबाजार

रायगढ़ / जशपुर जिले की सामान्य जानकारी

1.11 सामान्य जानकारी :–

रायगढ़ जिला राज्य के सुदूर पूर्व भाग में स्थित है। यह बिलासपुर जिले के 21.20 तथा 23.15 उत्तरी अक्षांश तथा 82.56 तथा 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसके उत्तर में जशपुर जिला दक्षिण पूर्व तक उड़ीसा राज्य की सरहद से 6527.44 वर्ग किलो मीटर के दायरे में फैला रायगढ़ जिला उत्तरीय क्षेत्र जहां बीहड़ जंगल, पहाड़ियों से आच्छादित है वही इसका दक्षिण हिस्सा ढेढे मैदानी है। जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, महानदी, माण्ड, केलो, ईब, कन्हर एवं गौर नदियां है। इसमें से कुछ नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है जो कृषि फसल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है।

1.12 जिले का नाम :–

जिले का नाम रायगढ़ नगर पर पड़ा है जो रायगढ़ जिले का मुख्यालय है। जिले के गठन के पूर्व रायगढ़ एक महत्वपूर्ण सामंती रियासत की राजधानी है। जैसा कि छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस गजेटियर में बताया गया है। रायगढ़ नाम की उत्पत्ति 'राई' से हुई है। जिसका अर्थ कटीले वृक्ष की एक प्रजाति से होता है और गढ़ शब्द का अर्थ किला होता है। राई का मानक हिन्दी नाम ''कल्ला'' है जिसका अर्थ डिलिनिया पैन्टागाईना राक्सबी होता है। छत्तीसगढ़ तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में 'गढ़' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किला ही नहीं होता है। रतनपुर के हैहय शासकों के अधीन गढ़ एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होता था। जिसमें किला होता था या नहीं भी होता था। जो पारंपरिक रूप से 84 गांवों का नियंत्रण रखता था। बाद में इस शब्द से स्थान का अधिक महत्व बढ़ जाने से गढ़ शब्द अन्य अनेक बस्तियों के नाम के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया ।

1.13 जनसंख्या :–

2011 की जनगणना के अनुसार रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 1493984 जिसमें पुरूष जनसंख्या 750278 एवं महिला जनसंख्या 743706 है। जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 224942 है जो कुल जनसंख्या का 15.06 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 505609 है जो कुल जनसंख्या का 33.84 प्रतिशत है।

तालिका क्र. - 1.13
रायगढ़ जिले की जनसंख्या विकासखण्डवार निम्नानुसार है

क्र.	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनुजाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत	अनुजनजाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत
		कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.		कुल	पु.	म.	
1	धरमजयगढ़	207030	103310	103720	13942	6973	6969	6.73	136915	67783	79132	6613
2	लैलूंगा	130613	65035	65578	9622	4759	4863	7.37	82923	41179	41744	6348
3	घरघोड़ा	79425	39330	40095	6096	3028	3068	7.68	46718	22983	23735	5882
4	तमनार	97975	49342	48633	9508	4797	4711	970	47818	23621	24197	4881
5	रायगढ़	307513	157560	149953	48000	24056	23944	1561	56498	28258	28240	1837
6	पुसौर	139799	70261	69538	20075	9995	10080	1435	28775	14333	14442	2058
7	खरसिया	150627	75194	75433	19106	9480	9626	1268	44105	21727	22378	2928
8	सारंगढ़	229603	114164	115439	73854	36666	37188	3217	31402	15483	15919	1368
9	बरमकेल	151399	76082	75317	24739	12357	12382	1634	30455	15106	15349	2012
	योग	1493984	750278	743706	224942	112111	112831	1506	504609	250473	255136	3384

वर्तमान में रायगढ़ जिले के विकासखण्ड घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार पूर्णतः आदिवासी विकासखण्ड है जबकि सामुदायिक विकासखण्ड में रायगढ़, सारंगढ़, पुसौर व बरमकेला है। खरसिया विकासखण्ड का कुछ हिस्सा सामुदायिक एवं कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र है।

रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से कंवर, उरांव नगेसिया, कोरवा, मांझी, भैंसवार, भूमिया, भूनिहार जनजाति निवास करती है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा यहां निवास करती है। अनुसूचित जाति में चमार, मोची, सतनामी, सूर्यवंशी, घासी या घसिया, बसोर, खटिक, चिकवा आदि निवासरत है।

1.14 पर्यटन स्थल :–

रायगढ़ जिला ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यहां सिंघनपुर, ओंगना, करमागढ़ की पहाड़िया तथा रायगढ़ के समीप कबरा पहाड़ प्रागैतिहासिक युग से मनुष्यों द्वारा निर्मित शैलचित्र पाये गये है।

1.15 प्रशासनिक इकाई :–

प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले को 5 अनुविभागों में एवं 9 तहसीलों क्रमश : खरसिया, घरघोड़ा लैलुंगा धरमजयगढ़, तमनार, रायगढ़,

पुसौर सारंगढ़, बरमकेला में विभक्त है। जिले में आदिवासी विकासखण्डों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आदिम जनजातियां की संख्या अधिक है। ऐसे क्षेत्र जहां 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है उसे माडा पाकेट के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे माडा पॉकेट सारंगढ़ तथा गोपालपुर है। माडा पॉकेट सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड के 56 ग्राम तथा बरमकेला विकासखण्ड के 42 ग्राम एवं 2 वनग्राम इस प्रकार कुल 100 ग्राम है। जबकि माडा पॉकेट गोपालपुर में 33 ग्राम शामिल है इस प्रकार जिले में माडा पॉकेट के अंतर्गत 133 ग्राम शामिल किया गया एवं जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धरमजयगढ़ 6 विकासखण्ड के 762 गांवों को शामिल किया गया है।

1.16 जनसंख्या घनत्व :–

रायगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना अनुसार 211 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

1.17 जनसंख्या वृद्धि दर :–

रायगढ़ जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) में 18.05 प्रतिशत है।

1.18 लिंगानुपात :–

लिंगानुपात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। सन् 2011 के जनगणना के अंतिम आकड़ों के अनुसार रायगढ़ जिले के लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

1.19 साक्षरता :–

रायगढ़ जिले की जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 73.26 है जिसमें पुरूष साक्षरता प्रतिशत 83.49 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता प्रतिशत 63.02 प्रतिशत है।

जिला – जशपुर

1.20 सामान्य जानकारी :–

जशपुर जिला वर्ष 1998 में जिला–रायगढ़ से पृथक कर बनाया गया।

1 नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश से विभाजित होकर छ.ग. राज्य अस्तित्व में आया। नवगठित राज्यों में 16 जिलों में से जिला–जशपुर एक है। यह जिला राज्य के पूर्व भाग में स्थित है इसकी पूर्वी सीमा पर झारखण्ड राज्य, उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में उड़िसा राज्य स्थित है। जशपुर जिले की मुख्य भौगोलिक क्षेत्रफल 4569.00 वर्ग किलोमीटर है।

1.21 विकासखण्ड :–

जशपुर जिले में विकासखण्ड क्रमशः

1. जशपुर
2. दुलदुला
3. कुनकुरी
4. फरसाबहार
5. बगीचा
6. कांसाबेल
7. पत्थलगांव
8. मनोरा

ये सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

1.22 ग्राम की संख्या :– जशपुर जिले में कुल 657 ग्राम हैं जिसमें–

राजस्व ग्राम 646

वनग्राम – 11

1.23 जनजातियां :–

जशपुर जिले की प्रमुख जनजातियां मुख्यतः, उरांव, कंवर, नगेशिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, खडिया, खैरवार तथा भुईयां जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। विकासखण्ड बगीचा एवं मनोरा में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं विकासखण्ड कुनकुरी, कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर निवास करती है।

1.24 जनसंख्या –

सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर जिले की कुल जनसंख्या

851669 है पुरूष जनसंख्या 424747 एवं महिला जनसंख्या 426922 है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या – सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर में कुल जनजाति जनसंख्या 530378 है। जिसमें पुरूष की संख्या 262731 एवं महिलाओं की संख्या 267647 है जो जिले की कुल जनसंख्या 851669 का 62.28 प्रतिशत है। जिले में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 48844 है जिसमें पुरूष की संख्या 24317 एवं महिलाओं की संख्या 24527 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 5.74 प्रतिशत है।

तालिका क्र.1.24 विकासखण्डवार कुल जनसंख्या
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनुजाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत	अनुजन जाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत
		कुल	पु.	महि	कुल	पु.	महि	कुल	पु.	महि		
1	बगीचा	171711	86023	86688	6616	3370	3246	121195	60365	60830	3.85	70.58
2	कांसाबेल	76735	37840	38895	4695	2305	2390	47849	23493	24356	6.12	62.34
3	जशपुर	96360	48449	47911	6213	3086	3127	54977	27301	27676	6.45	57.05
4	मनोरा	60695	30710	29985	1974	1005	969	48740	24542	24198	3.25	80.30
5	कुनकुरी	95300	47657	47643	4958	2452	2506	46765	23104	23661	5.20	49.03
6	दुलदुला	50840	25092	25748	2636	1301	1335	25023	12271	12752	5.18	49.07
7	फरसाबहार	108498	53496	55002	3594	1787	1807	64631	31610	33021	3.31	59.57
8	पत्थलगांव	191530	95480	96050	18158	9011	9147	121198	60045	61153	9.48	63.28
	योग	**851669**	**424747**	**426922**	**48844**	**24317**	**24527**	**530378**	**262731**	**267647**	**5.74**	**62.27**

1.25 जनसंख्या घनत्व :–

जशपुर जिले की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रति वर्ग किमी 146 व्यक्ति है।

1.26 जनसंख्या वृद्धि दर :–

जशपुर जिले मे जनसंख्या वृद्धि दर सन् 2011 के जनगणना के आधार पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) 14.60 प्रतिशत है।

1.27 लिंगानुपात :–

जशपुर जिले की लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरूष पर महिलाओं की संख्या 1005 है।

1.28 साक्षरता :–

जशपुर जिले की साक्षरता प्रतिशत सन् 2011 के गणना के आधार पर 67.29 प्रतिशत है। जिले में पुरूष साक्षरता प्रतिशत 77.32 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता प्रतिशत 58. 61 प्रतिशत है।

अध्याय -दो

अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि

2.1 अध्ययन क्षेत्र :–

बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दो जिले रायगढ़ एवं जशपुर में पायी जाती है। रायगढ़ जिला 6527.44 वर्ग किमी क्षेत्रों में फैला हुआ है एवं जशपुर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 4596.00 वर्ग किलो मीटर है। रायगढ़ जिले में 9 विकासखण्ड है जिसमें से घरघोड़ा, लैलुंगा, तमनार, धरमजयगढ़ पूर्णतः आदिवासी विकासखण्ड है। जशपुर जिले में जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव तथा मनोरा आदिवासी विकासखण्ड है। रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या का 33.84 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों का है एवं जशपुर जिले की कुल जनसंख्या का 62.28 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों का है। रायगढ़ जिले के चार विकासखण्ड क्रमशः घरघोड़ा, लैलुंगा, तमनार, घरमजयगढ़ एवं जशपुर जिले के पांच विकासखण्ड क्रमश : पत्थलगांव, कुनकुरी कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर जनजाति निवासरत है। इन विकासखण्डों में अन्य जनजातियां जैसे कंवर, उरांव नगेशिया, कोरवा, मांझी मंझवार, भूमिया, भूमिहार, खड़िया, खैरवार भी निवासरत है। विकासखण्डवार उनकी जनसंख्या निम्नानुसार है।

तलिका क्र. 2.1 रायगढ़/जशपुर
जिले में बिरहोर जनजाति की ग्रामवार जनसंख्या

क्र.	ग्राम	विकासखण्ड	परि. संख्या	परियोजना	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1.	ओंगना	धरमजयगढ़	07	धरमजयगढ़	26	16	10
2.	बोंकी सकरलिया	——,,——	10	——,,——	22	10	12
3.	कांटाडांड	——,,——	09	——,,——	39	19	20
4.	खलबोरा	——,,——	23	——,,——	110	59	51
5.	कंवईडूगक	——,,——	02	——,,——	11	08	03
6.	सुकवापारा	——,,——	01	——,,——	05	03	02
7.	बसंतपुर	——,,——	16	——,,——	55	20	35
8	जूनापारा	——,,——	06	——,,——	18	10	08
9	रूआफूल	——,,——	22	——,,——	72	38	34
10	केकरापारा	——,,——	02	——,,——	07	03	04
11	रायमेर	——,,——	12	——,,——	33	18	15
12	खर्रा	——,,——	20	——,,——	76	39	37
13	हाटी	——,,——	02	——,,——	08	03	05
14	मांझीपारा	——,,——	10	——,,——	36	20	16
15	बिरहोरपारा बरतापाली	——,,——	11	——,,——	32	15	17
16	चिखलापानी	——,,——	22	——,,——	83	41	42
योग			175		**633**	**322**	**311**
17	हिंझर	तमनार	04	धरमजयगढ़	14	05	09
18	कोडरेल	——,,——	14	——,,——	31	15	16
19	सीतापारा	——,,——	22	——,,——	63	28	35
योग			**40**		**108**	**48**	**60**
20	कर्रा	लैलूंगा	07	धमजयगढ़	30	15	15
21	झगरपुर	——,,——	09	——,,——	32	13	19
योग			16		62	28	34
22	कोटरीमाल	घरघोडा	05	धरमजयगढ़	18	10	8
23	लिमदहा	——,,——	07	——,,——	26	11	15
योग			12		44	25	19
24	बुलडेगा	पत्थलगांव	26	जशपुर	80	24	36
25	कुकूर भूका	——,,——	06	——,,——	20	09	11
योग			32		100	53	47
26	झरगांव	दुलदुला	13	——,,——	41	16	25
योग			13		41	16	25
27	राजटोंगरी	कांसाबेल	05	——,,——	19	10	09
28	बटईकेला (सागीभावना)	——,,——	12	——,,——	42	24	18

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिरहोर परिवार अल्प संख्या में किसी ग्राम में रहते है केवल 07 ग्राम ऐसे है जहां 20 से अधिक बिरहोर परिवार है और 27 ग्राम ऐसे है जहां कम बिरहोर परिवार है। इस प्रकार 34 ग्रामों में कुल 401 बिरहोर परिवार है। जिनकी कुल जनसंख्या 1390 है। इनके औसत परिवार की सदस्य संख्या 3.47 है।

2.2 अध्ययन प्रविधि :–

2.2.1 सामाजिक स्थिति – बिरहोर जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। इस प्रश्नावली का अनुशीलन किसी भी जाति का भौगोलिक क्षेत्र, निवास क्षेत्र उत्पत्ति संबंधी अवधारणा, आवास का प्रकार, गोत्र, रहन–सहन, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक गतिविधि, धार्मिक मान्यता, देवी–देवता, जीवन–चक्र, राजनैतिक संगठन आदि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर का मानव शास्त्रीय अध्ययन हेतु जशपुर क्षेत्र के बिरहोर बाहुल्य ग्रामों का भ्रमण कर तथा बगीचा विकासखण्ड के ग्राम बुलडेगा में निवासरत बिरहोर प्रमुखों से सामुहिक चर्चा कर मानव शास्त्रीय अध्ययन हेतु तैयार प्रश्नावली की बिन्दुवार जानकारी ली गई। बगीचा विकासखण्ड में ग्राम बुलडेगा में उपस्थित बिरहोर प्रमुखों के कुल नाम निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम
1	फगनुराम	लोभन
2	गुरवारों	लोभन
3	चरंगुराम	गुरवारों
4	नंदलाल	गुरवारों
5	कंदरा राम	रातुराम
6	सुखन राम	बुद्धराम
7	गेंदाराम	रातुराम
8	सोभराम	रातुराम
9	डेरिहाराम	रातुराम
10	भोलाराम	सुन्दरराम
11	गणेशराम	मलियाराम
12	एतोराम	गणेश
13	बैशाखुराम	बुद्धुराम
14	फगनीबाई	फगनीबाई स्व.रतनसाय
15	सोनसाय	बिरजूराम

16	रथोराम	पंद्रहराम
17	धनीराम	कंदरो
18	सुखलाल	बुद्धुराम
19	परदेशीराम	झखड़ीराम
20	सुखीराम	सोनसाय
21	बुहुराम	सोनसाय
22	समारीबाई	रातुराम
23	कदनीबाई	झखड़ीराम
24	सुखमेत	बुद्धुराम
25	फन्नुबाई	अगनी
26	बैशाखीबाई	सोनसाय

उपरोक्त बिरहोर प्रमुखों से सामुहिक चर्चा की गई एवं बिन्दुवार जानकारी एकत्रित की गई। इसी प्रकार विकासखण्ड बगीचा के ग्राम–घोघर में निवास करने वाले बिरहोर जाति के बुजुर्गो से चर्चा की गई एवं उनसे सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इस ग्राम से सामुहिक चर्चा में भाग लेने वाले बिरहोर सदस्यों के नाम निम्नानुसार है।

1. **फगनी राम सोनवानी**
2. **सोमाराम बांधी**
3. **पदरसाय सोनवानी**
4. **सुखीराम सोनवानी**
5. **कुंवर सोनवानी**
6. **लाखो बाई सोनवानी**
7. **रामबरी बाई**

इस प्रकार बिरहोर जनजाति के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने हेतु जशपुर जिले के विकासखण्ड बगीचा के दो ग्राम से बिरहोर प्रमुखों से सम्पर्क किया गया है।

2.2.2 आर्थिक पहलु – **बिरहोर जनजाति के आर्थिक पहलु का अध्ययन करने हेतु** उनके आय का स्त्रोत जैसे, कृषि, मजदूरी, वनोपज, संग्रहण, तथा अन्य कार्यो से प्राप्त

आय की जानकारी ली गई है। इसी प्रकार व्यय के आंकलन के लिए व्यय के विभिन्न मद जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, शराब एवं अन्य पेय पदार्थ, त्यौहार आदि पर किये गये व्यय मदवार जानकारी भी संकलित की गई है। परिवारिक व्यवसाय क्या–क्या है इसकी जानकारी ली गई, भूमि धारिता की जानकारी संकलित की गई है इस प्रकार आर्थिक पहलु के अंतर्गत आय–व्यय, ऋणग्रस्तता, पारंपरिक व्यवसाय, वर्तमान व्यय, एवं भूमि धारिता की जानकारी एकत्रित की गई है।

2.2.3 बिरहोर जनजाति में साक्षरता – बिरहोर जनजाति परिवारों में परिवार अनुसूची का अनुशीलन किया गया है। इस प्रकार 120 बिरहोर परिवारों में साक्षरता तथा शैक्षणिक स्तर के मान से औपचारिक शिक्षा प्राप्त किये गये व्यक्तियों की गणना की गई।

अध्याय-तीन

भौतिक संस्कृति

3.1 रसल और हीरालाल की पुस्तक :–

ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आफ सेन्ट्रल प्राबिंसेंस ऑफ इण्डिया 1916 वाल्यूम–1 में उल्लेख किया गया है कि यह कोलेरियन जाति स्टेटस से आया है।

सर एच.रिचले के अनुसार बिरहोर बहुत गरीब होते है तथा खरगोस, बंदर, पकड़कर एवं वनोपज एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते है, तथा जंगल में फैली हुई लता की रस्सी बनाते है और इन्हे बेचते है इनके मकान पेड़ की डाली व पत्तों से बने होते है।

फोर्स रिपोर्ट के अनुसार – बिरहोर मुण्डा नस्ल की जाति है और इनकी भाषा मुण्डारी तथा संथाली भाषा से मिलकर बनी है। उनके अनुसार बिरहोर छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली सबसे पुरानी जनजाति है।

मेजर थामसन के अनुसार – बिरहोर पलामू जिले के मूल निवासी है जो छोटा नागपुर तथा जशपुर में पाये जाते है। बिरहोर जनजाति दो उप जातियों में विभक्त है।

1. भूलिया यथा भूलक्कड।
2. जाघिया या स्थायीवास करने वाले।

बिरहोर एक बहुत ही पिछड़ी सभ्यता से दूर रहने वाली जंगलों पहाड़ों में निवास करने वाली जनजाति है। जिनकी आजीविका का मुख्य साधन वनोपज, बंदर, खरगोश को पकड़ना रस्सी बनाना इत्यादि रहा है।

3.2 उत्पत्ति संबंधी अवधारणाएं / इतिहास :–

1. बिरहोर जनजाति के समाज के प्रमुख लोगों से चर्चा करने पर बताया गया कि वे जंगलों में निवास करते थे। इसकी मां एवं मौसी दो बहने थी। बड़ी मां से बिरहोर उत्पन्न हुए, जबकि छोटी मां के संतान महकुल कहलाएं। बिरहोर तथा महकुल दोनों भाई जंगल में भैंस चराने गये तथा लता की रस्सी से भैंस को बांध दिए फिर दोनों भाई रस्सी काटने जंगल के अंदर घुसे। रस्सी

Chhattisgarh Tribal Research Institute

बिरहोर ग्राम का परिदृश्य

काटकर लौटने पर देखे कि महकुल की भैंस बंधी हुई मिली। दोनों भाई आपस में बात किए बिरहोर अपने महकुल भाई से बोला कि तुम अपनी भैंस लेकर घर जाओं और वह अपने भैंस ढूढ़ने जंगल की ओर चला गया एवं रस्सी काटते चले गये। अपनी भैंस खोने वाली बात भूल गये। रस्सी काटते–काटते वह वीर पहाड़ में रहने लगा। बीर पहाड़ में रहने एवं बिरहोर (रस्सी) बनाने के कारण लोग उन्हें बिरहोर कहने लगें।

2. अन्य कथा के अनुसार एक बार महादेव (शंकर) कुल्हाड़ी, बसुला हाथ में लिए शिकार करने जंगल गये। शिकार करते–करते उन्हें बहुत जोर से भुख एवं प्यास लगा, तो उन्होंने जंगली फल–फूल एवं नदी का पानी पीकर अपने भूख एवं प्यास को शांत किया तत्पश्चात एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे ये थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्हें ढोल बजाने की मन हुई तो इन्होंने एक पेड को काटकर ढोल का खोल मनाया एवं एक पेड़ के उपर बैठे बंदर को मारकर उसके खाल निकाल कर खाल में लगा लिये एवं बजाने लगा तथा बंदर के मांस को बिरहोर लोगों को खाने के लिए दे दिये तब से बिरहोर लोग भगवान महादेव के आशीर्वाद मानकर बंदर को मार कर खाते है।

3. बिरहोर मान्यता है कि वे ''खाखार'' एक ही जाति के हैं सूर्य भगवान द्वारा इन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया गया ये सात भाई थे जो खैरागढ़ (कैकुर की पहाड़ी) में आकर गिरे। चार भाई पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए जबकि तीन भाई जशपुर एवं रायगढ़ जिले में आकर बस गये। रायगढ़ जिले में रहते हुए एक बार राजा से युद्ध करने के लिए गये जब ये तीनों भाई जा रहे थे तब उनमें से एक भाई के सिर का कपड़ा पेड़ में अटक गया। जिस भाई का कपड़ा पेड़ में अटका उसे अशुभ लक्षण मानते हुए वह जंगल की ओर चला गया। शेष दोनों भाई राजा को युद्ध में परास्त कर वापस घर लौटते समय अपने भाई को जंगल में पेड़ से रस्सी निकालना कहते हुए दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बिरहोर अर्थात जंगल का आदमी या चोल काटने वाला कहकर पुकारने लगे। इस पर उस भाई ने जबाब में कहा कि हां मैं बिरहोर हूं और ऐसा कहते हुए अपने दोनों भाईयें से अलग जंगल में रहने लगा और

जंगल का मालिक कहलाया तथा ग्राम के एक सिरे में जहां शासकीय भूमि उपलब्ध है वहां निर्मित किए गए है।

3.3 शारीरिक बनावट :–

नृतत्व शास्त्रीय दृष्टि से बिरहोर काली चमड़ी, ठिगने तथा लम्बे सिर वाले होते है। इनके नाक के नथने चौड़े होते है इस प्रकार यह जाति मुण्डा अथवा संथाल के करीब की मानी जाती है। इनका कद काठी सामान्य होता है। इसका रंग सांवला तथा बाल काले होते है। ये सीधे–सादे तथा सरल स्वभाव के होते है। जंगलों के पास रहने एवं जंगली जानवरों का शिकार करने के कारण ये परिश्रमी एवं निडर होते है। पहाड़ों पर चढ़ना पेड पर चढ़ना इनका रोज का काम है अत्याधिक मेहनत करने के कारण ये मजबूत होते है।

3.4 निवास क्षेत्र का भौगोलिक परिचय :–

छत्तसीगढ़ में बिरहोर जनजाति मुख्यतः जशपुर जिले के कुनकुरी, कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में एवं रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखण्ड में जंगल पहाड़ियों के आसपास घर बनाकर रहते है। बिरहोर की सर्वाधिक संख्या रायगढ़ जिले में है, बिरहोर एक घुमन्तु जनजाति है, जिनका मुख्य कार्य बंदर पकड़ना तथा जंगली पेड़ पौधों से रस्सी बनाना है। पूर्व में ये कृषि कार्य नहीं करते थे। बंदर पकड़ने तथा पशुपक्षी का शिकार करने के कारण इनके निवास स्थान अधिकांश, पहाड़ की चोटी पर होते है अथवा पहाड़ों के आस–पास के क्षेत्रों में निवास करते है। उन्हें जंगली जड़ी–बूटी का ज्ञान होता है जिसे जंगल से लाते है, व गांव–गांव घूमते हुए इन जड़ी–बुटी से इलाज भी करते है।

3.5 ग्राम का आकार :–

बिरहोर जनजाति का ग्राम मूल ग्राम से अलग एक ''पारा'' मुहल्ले के रूप में जंगल एवं पहाड़ों के आसपास कम से कम 5 परिवार एवं अधिक से अधिक 20 से 25 परिवारों की बसाहट देखने को मिलता है। बिरहोर जाति के गांव मूल ग्राम से कम से कम 1–2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वहां तक जाने के लिए कच्ची सड़क (पगडंड़ी) होती है। जो कि उनके द्वारा स्वनिर्मित होती है। ग्राम में घरों की बनावट

सभी बिरहोर ग्रामों में एक–समान नहीं होती है कई गांवों में मकान मुख्य गली के दोनों तरफ होती है। शासन द्वारा बिरहोर जनजाति के लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया गया है एवं व्यवस्थित रूप से बसाया गया है। ऐसे गावं में मुलभूत आवश्यकताएं, बिजली पानी पाठशाला आंगनबाड़ी सड़के शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन कई गांवों में ग्राम की बनावट अव्यवस्थित है जहां बिरहोर अपने खुद से मकान बनाकर रहते है ऐसे गांव में घर एक समूह के रूप में तो कहीं अलग–अलग कम से कम 100 मीटर की दूरी में बने हुए है। इनके घरों के मुख्य प्रवेश द्वार भी अलग–अलग दिशा में बनी हई है ऐसे गांव में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी, सड़के, पाठशाला, चिकित्सालय भी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

3.6 बिरहोर जनजाति की जनसंख्याः–

विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर एक अल्प ज्ञात जनजाति है जो राज्य के तीन जिले यथा दुर्ग, रायगढ़ एवं जशपुर में सीमित संख्या में निवासरत है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनकी जनसंख्या मात्र 738 थी, जिसमें से रायगढ़ जिले में 603 जशपुर जिले में 95 एवं दुर्ग जिले में 40 बिरहोर निवासरत थे। वर्ष। 1981 की गणना के अनुसार राज्य में बिरहोर की जनसंख्या 561 अंकित की गई है। जिसमें 266 पुरूष एवं 295 महिलाएं है। वर्ष 1991 में विकास प्राधिकरण द्वारा गणना कराईं गई थी जिसमें इनकी जनंसख्या 935 दर्ज किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में बिरहोर जनजाति की जनसंख्या 1744 थी।

3.7 बसाहट :–

बिरहोर जनजाति की बसाहट सामान्य अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। बिरहोर जनजाति अपने रहन–सहन के तरीको के कारण मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैः–

1. जांघी या धानिया (बसे)
2. उथलु या भूलिया (घुमक्कड़)

परंपरागत रस्सी निर्माण करती बिरहोर महिला

परिधान – बिरहोर महिला एवं पुरूष परिधान

1. उथलु बिरहोर :– उथलु बिरहोर सिर्फ बरसात के मौसम को छोड़कर उथलु बिरहोर छोटे–छोटे समुहों में अपने परिवार के साथ–साथ जंगल–जंगल घूमते है। बच्चे अपने मुखिया के साथ उनके देवता या भूत जो पत्थर या लकड़ी के रूप में रहते है। अपने साथ ले जाते है शेष छोटे बच्चे मुर्गे, मुर्गियां रखते है। पुरूष जाल व औजार हथियार स्त्रियां सिर पर पत्तों का चटाईयां व बांस की टोकरियां लेकर चलती है। बरसात के मौसम में (जुलाई–सितम्बर) में वे लोग किसी जगह स्थाई रूप से रहते है सामान्यता एक जंगल में वे एक या दो हफ्ते रूकते है। वहां शिकार बगैरह करते है फिर दूसरे जंगल में प्रस्थान कर जाते है। फिर वहां से दूसरे जंगल में निकल जाते है इसी तरह भोजन की तलाश में जंगल–जंगल भटकते हुए वे अपने मूल स्थान में करीब दो वर्ष बाद वापस आ जाते है और पुनः उसी तरह का घुमक्कड़ जीवन प्रारंभ कर देते है।

2. जांघी बिरहोर :– जांघी बिरहोर जो इस प्रकार के घुमन्तु जीवन से उब गये है। पहाड़ पर या किसी जंगल में एक स्थान पर बस गये है। इस तरह उन्होंने पहाड़ पर या जंगल में कुछ जमीन साफ कर ली है जिसमें वे कृषि करते हैं परन्तु ज्यादा संख्या भूमिहीन लोगों की है जो शिकार व रस्सी बनाकर जीवन यापन करते है जांघी बिरहोर भी एक जगह किसी निश्चित समय के लिये नहीं रहते है इसका कारण इस जगह के भू–स्वामियों का बुरा व्यवहार या गांव के लोगों का बुरा व्यवहार या चोप कीपर की कमी मुख्य है जिसके कारण वे एक जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते है या फिर पुनः अपने उथलु बिरहोर के जीवन में प्रवेश कर घुमक्कड़ जीवन बिताना शुरू कर देते है।

3.8 आवास निर्माण :–

बिरहोर जनजाति के आवास कच्ची मिट्टी, लकड़ी, बांस एवं बल्ली की बनी रहती है। जिस पर पूर्व में छत के उपर घास फूस अथवा पत्ते की छाजन डालते है। जिससे गर्मी तथा वर्षा से छुटकारा मिल सके। वर्तमान समय घास फुस की जगह खपरा की छाजन डालते है। बिरहोर के मकान साधारण एक या दो कमरे के होते है। चूंकि बिरहोर पूर्व में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकते रहते थे। इसलिए एक या दो

कमरे के मकान तैयार करते थे। कुछ झोपड़िया लकड़ी गाड़कर तैयार करते है जिसके उपर बांस बल्ली डालकर उसके उपर पत्तियों रखते है। बिरहोर इन बसाहटों का टौडा कहते है। कभी–कभी इस लकड़ी के बने मकान में मिट्टी छबाई करते है। इसमें एकांकी परिवार की प्रथा है शादी–शुदा लड़के अपना मकान अलग तैयार करते है। इस झोपड़ी में बने दो कमरों में से एक कमरा रहने के उपयोग में लाते है। जबकि दूसरे कमरे में जाल, कुल्हाड़ी रस्सी बनाने के औजार बर्तन जंगली उपज तथा अनाज आदि रखते है। इस प्रकार एक कमरा स्टोर के रूप में उपयोग करते है तथा दूसरे कमरे में रहते है।

बड़े कमरे के एक कोने में छोटा सा घेरा डालकर मुर्गा–मुर्गी रखते है। जिन बिरहोर परिवार के पास गाय बैल होते है। अपनी झोपड़ी से लगा हुआ एक कमरा तैयार कर इसमें जानवर रखते है। इसी प्रकार देवी देवता के लिए एक अलग झोपड़ी बनाते है। जिसे जोगा पेटी कहते है। इसमें थोड़ा अरवा चांवल, बांस का छोटा टुकड़ा तथा अन्य पूजन सामग्री रखते है। कुछ बिरहोर देवी देवता के लिए घर से दूर एक झोपड़ी बनाते है। जिसे घास कहते है। इसमें देवी की प्रतिनिधि के रूप में पत्थर का टुकडा या लकड़ी का टुकडा जमीन में गाडकर स्थापित करते है तथा उस पर चांवल तथा फल फूल चढ़ाकर पूजा करते है। बिरहोर मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है एक जांघी अथवा धानिया (स्थायी रूप से रहने वाले) एवं दूसरा उथलु या भूलिया घुमक्कड़, उथलु उपजाति के बिरहोर छोटे–छोटे समूहों में जंगल–जंगल घूमते है जबकि जांघी उपजाति के बिरहोर स्थाई रूप से बसे होते है। जांघी उपजाति के लोग अपनी बसाहट के पास झोपड़ी बनाकर देवी स्थापित करते है। देवी के रूप में पत्थर अथवा लकड़ी का कुछ हिस्सा जमीन में गाड़ते है तथा कुछ हिस्सा उपर रहता है। कभी कभी इसके आस–पास पेड़ पौधे लगा देते है। इसे सेन्द्रा बीजा का मंदिर कहते है। जिसे शिकार करने जाने से पूर्व पूजते है। इसी प्रकार चांदी बोगा या सागी बोगा समुदाय के लिए सामान्य आत्मा है। जिसे शिकार करने के पूर्व पूजते है।

3.9 श्रृंगार एवं वस्त्र विन्यास :–

बिरहोर जनजाति की महिलाएं श्रृंगार तथा साज–सज्जा पर विशेष ध्यान नहीं

देती है। सामान्य तौर पर किसी भी श्रृंगार सामाग्री का उपभोग नहीं करती है। प्रतिदिन स्नान करना भी इनकी दिनचर्चा में नहीं है। कभी–कभी नहाती है जब उन्हें फुरसत मिलती है। कपड़े के नाम पर स्त्रियां लहंगा अथवा साड़ी का टुकड़ा कमर में लपेट कर वक्ष–स्थल को ढकती है। लहंगा पहनने पर लहंगे को सिने के उपर बांधती है। विशेष अवसर जैसे शादी ब्याह, नाच–गान तथा मेले आदि में जाने वाली स्त्रियों श्रृंगार करती है। बाल में तेल लगाकर कंघी करती है, तथा फीता बांधती है। नई परधनी तथा ब्लाउज पहनती है। विवाहिता महिलाएं मांथा में सिन्दुर लगाती है। और नाच गान के अवसर में फूल पत्तियों से श्रृंगार करती है। वैसे सामान्य स्थिति में सहज ढंग से रहती है। और कंघी तक नहीं करती है।

पुरूष शारीरिक स्वच्छता तथा साज श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं देते है। पुरूष कपड़े का एक छोटा टुकड़ा कमर में लपेटते है और शरीर का आधा भाग खुला रहता है पुरूष भी शारीरिक स्वच्छता के लिए प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक नहीं समझते। सप्ताह में एक या दो दिन स्नान करते है। इनके नाखून बाल दाढ़ी बढ़ी हुई होती है तथा इसकी साज संवार नहीं करते है।

बच्चे जिसमें लड़का तथा लड़की दोनों निर्वत्र रहते है। बच्चे बड़े होने पर लड़को को गमछा अथवा चड्डी पहनाते है तथा लड़कियों को कमती, छोटी साड़ी अथवा फ्राक पहनाते है। स्कूल जाने वाले बच्चे कपड़े पहनने लगे है।

(ब) गोदना :– बिरहोर जनजाति में गोदना गुदवाने की प्रथा है जब लड़कियां 10–11 वर्ष की होती है तो दोनों हाथों की हथेली के पृष्ठ भाग में तथा जब 15.16 साल अवस्था में दोनों हाथों में तथा दोनों पैरों में गोदना गुदवाती है। इस जनजाति की महिलाओं की यह प्रमुख श्रृंगार की वस्तु है। इस संबंध में पूछने पर बिरहोर प्रमुखों ने बताया कि गोदना ही एक ऐसा श्रृंगार है जो अमिट एवं मरणोपरांत भी शरीर का साथ नहीं छोड़ता है इसलिए बिरहोर जनजाति की महिलाएं गोदना गुदवाती है। बिरहोर पुरूष में गोदना गुदवाने का प्रचलन कम है। कभी–कभी बिरहोर पुरूष गोदना अंकित कराते है।

(स) आभूषण :– **इस जनजाति की स्त्रियां आभूषण के नाम पर केवल सस्ते धातु के** आभूषण का प्रयोग करती है। विवाहित स्त्रियां कलाई में कांच की चूड़ी पहनती है विधवा औरते गिलट की चूडीयां पहनती है। बांह में कड़ा जो एल्युमिनियम का बना होता है नाक में फूल्ली, कान में ढार पैर में चूड़ा अथवा पैरी पहनती है। ये सभी आभूषण सस्ती धातु जैसे कांसा, सिल्वर के होते है। पुरूष कोई विशेष आभूषण नहीं पहनते है।

3.10 उपजाति तथा गोत्र :–

(अ) बिरहोर की उपजातियां – बिरहोर प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त है।

1. जांघीया धानिया (स्थायी रूप से निवासरत)
2. उथलु या भूलिया घुमक्कड़ (अस्थायी निवास करने वाले)

1. जांघी या धानिया (स्थायी रूप से निवासरत) :– जांघी या धानिया बिरहोर घुमन्तु जीवन से उब कर जंगल एवं पहाड़ों के पास बस गये है। कुछ लोग जंगल की जमीन को साफ कर खेती करने लगे है। खेती करने के कारण ये लोग धीरे–धीरे स्थाई रूप से बस गये जो लोग भमिहीन थे वे भी आसपास में शिकार करने तथा रस्सी बनाकर बेचने का काम करते है। स्थाई रूप से बसने की सहूलियत के कारण ये धीरे–धीरे घुमन्तु जीवन छोड़ने लगे है।

2. उथलु या भूलिया घुमक्कड (अस्थायी निवासरत) :– सिर्फ बरसात के मौसम को छोड़कर बिरहोर छोटे–छोटे समूहों में अपने परिवार के साथ जंगल–जंगल घूमते है। अविवाहित बच्चे अपने मुखिया के साथ देवता। (लकड़ी या पत्थर के रूप में) अपने साथ ले जाते है। पुरूष जाल, औजार तथा हथियार रखते है और स्त्रियां बांस के पत्ते की चटाई टोकरी एवं अन्य घरेलु समान तथा भोजन लेकर चलती है।

3.11 बिरहोर जनजाति की गोत्र :–

बिरहोर जनजाति में गोत्र का स्थान महत्वपूर्ण है। अन्य जनजातियों के सामान इसमें भी संगोत्रीय विवाह वर्जित है और इस तरह के विवाह को पाप मानते है। बिरहोर जनजाति के प्रमुखों द्वारा बताये अनुसार इनके गोत्र निम्नानुसार है :–

1. सोनवानी
2. बाड़ी
3. बघेल
4. छत्तगोटे
5. अररोंघी
6. मुकिहार
7. कोभम्बी
8. काहर
9. सननामी
10. बाघ
11. भैसा
12. कोसन्दी
13. छटर

गण चिन्ह के बारे में पुछने पर उन्होंने खेल बघेल–बाघ देव को मानने वाले बाड़ी बाजारी भूत को मानने वाले सोनवानी–सोन चिरईया का शिकार न करने वाले के बारे में केवल बता पाये अन्य गोत्रों के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। इनके प्रमुख उपनाम, लिलएर, बेहरवाद, हेमरूम, सीजवार तथा महली आदि है।

3.12 दिनचर्या :– बिरहोर पुरूष सवेरे मुर्गे की बाग के साथ उठ जाते है। उठकर पहले चोपकीपर से रस्सी बुनने की तैयार करते है। बिरहोर स्त्रियां थोड़ी देर में परन्तु सूर्योदय के पहले उठती है और रस्सी बनाने में पुरूषों की हाथ बताती है। दिन निकलने पर स्त्रियां घर में काम जैसे झाड़ू, बर्तन, पानी में लग जाती है जबकि पुरूष चोपकीपर अथवा सन–पखा (परसन) से रस्सी बुनने एवं बंनी हुइ रस्सी के सिका, गेखा जोता इत्यादि बुनते है। कुछ देर पश्चात हाथ मुह धोकर दतौन करते है और सवेरे का नास्ता उबला चांवल (पेज) महुवा या साग भाजी के साथ खाते है। नास्ता करने के बाद पुरूष जाल आदि बुनने में लग जाते है। जबकि स्त्रियां घर की काम

करती है न ही पुरूष एवं न ही स्त्रियां रोज नहाती है बल्कि सप्ताह में एकात दो बार नहाते है। ये लोग अपने त्यौहारों के अवसर पर ही अपने कपड़े को धोते है। बिरहोर स्नान एवं कपड़ा धोने पास के नदी नाले में जाते है। कपड़ा धोने के लिए सोडा का प्रयोग करते है। दोपहर का भोजन करने के बाद पुरूष जंगल में शिकार करने, चोप इक्ठ्ठा करने एवं लकड़ी लाने चले जाते है। महिलाएं सुबह झोपड़ी की साफ सफाई करती है तथा बर्तन घोती है और नदी नालों से पानी भरकर लाती है। सबेरे का खाना बनाती है। और खाना खाने के बाद जंगल में वनोपज इक्ठ्ठा करने जाती है। जंगल में मौसम के अनुसार, महुआ, गुल्ली, हर्रा, चार चिरौजी, आज, जामुन आदि फल एकत्रित करती है। खाने योग्य कंद मूल, भाजी का पेड़ की छाल की रस्सी आदि लेकर घर आती है। जिस दिन जंगल नहीं जाती है उस दिन रस्सी से तैयार किया गया माल जैसे गेरवा, सिका, जाल आदि बेचने पास के बाजार अथवा गांव–गांव घुम–घुम कर बेचते है। बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद अपने मां, बाप की सहायता के लिए काम में हाथ बांटते है।

अधिकांश बिरहोर ऐसे है जिन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए रोज कमाना पड़ता है। जिस दिन बिरहोर को शिकार न मिले चोप कीपर न मिले या कंदमूल न मिले उस दिन उसे भुखे रहना होता है अथवा पत्ती आदि उबालकर खाते है। शाम को घर लौटने के पहले पुरूष इक्ठ्ठा किये गये चोपकीपर को नदी में एक डेढ़ घंटे तक भींगा कर रखते है उसके बाद उसे लेकर घर वापस आते है। रात के समय खाने के पश्चात जंगल से लाये चोपकीपर को तैयार करने में लगते है। नींद आने पर सोने चले जाते है। पूरा परिवार आग के चारों ओर सोता है। क्योंकि इनके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते है। गर्मी के दिनों में चटाई बिछाकर जमीन पर सोते है। इनके यहां खाट नहीं मिलते है।

अक्टूबर से जून के प्रारंभ तक ये लोग शिकार करते है तथा चोप इक्ठ्ठा करते है। शहद मिलने पर उसे भी निकालते है। स्त्रियों मौसम के अनुसार महुआ, जंगली, कंदमूल, फल–फूल इक्ठ्ठा करती है। इस मौसम में विवाह, त्यौहार मनाते है इन अवसरों पर ईली चांवल का शराब पीते है और नाच–गान करते है।

जून, जुलाई अगस्त व सितम्बर के महीने में जिनके पास जमीन है वे खेती करते है तथा जिनके पास जमीन नहीं है। वे जंगल की जमीन पर अनाज उगाते है। घर का काम समाप्त होने पर औरतें मजदूरी करने जाती है। खेती चूकि पुराने तरीके से करते है, और जमीन भी कम होती है। इसलिए कृषि उत्पादन मुश्किल से दो तीन महीने के लिए पर्याप्त होता है। वर्ष के शेष दिनों इन्हें शिकार, मछली, पकड़ने, जंगली फल फूल इक्ठ्ठा करने रस्सी बनाकर बेचने आदि से उदरपूर्ति करना होता है।

3.13 शिकार :–

प्राचीन समय से बिरहोर जाति के लोग बंदर, सुअर, सामर, चीतल आदि जंगली जानवरों का शिकार करते आये है। बिरहोर बंदर पकड़ने में बड़े दक्ष होते है। इनके जाल मजबूत छाल के बने होते है। आस–पास के पेड़ों पर लकड़ी मारमार कर आवाज पैदा करते है तथा जानवरों को जाल की ओर खेदते है, साथ ही बंदरों की प्रशंसा के गीत गाते है। जैसे ही बंदर जाल की ओर जाकर उसमें फंस जाता है।, बिरहोर जाल की ओर दौड़ते है और लाठी से जानवर को मारते है। बंदर पकड़ने में माहिर होने के कारण दूसरे जाति के लोग इन्हें मंत्र–तंत्र के द्वारा बंदर को पकड़ने में पारंगत मानते है। वैसे बिरहोर कुछ मंत्रों का प्रयोग भी जानते है। बंदर पकड़ने के पहले जिस पेड पर बंदर चढ़ा होता है। उसके चारों ओर घूमकर पढ़ते है। उसके पश्चात पेड़ पर चढ़कर बंदर को पकड़ लेते है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक नहीं पहुच पाता।

3.14 बोली :–

जैसा की उल्लेख किया गया है कि बिरहोर की बोली झण्डारी और संथाली बोली से मिलती जुलती है। सरजार्ज गिजरर्सन के अनुसार बिरहोर बोली झन्डारी के ज्यादा नजदीक है बनिस्वत संथाली बोली के। रांची तथा इसके आसपास के क्षेत्र के झन्डारी बिरहोर को बीर मुण्डा या जंगल मुण्डा कहकर पुकारते है। परन्तु बिरहोर अपने को संस्थाल के ज्यादा करीब बताते है। बिरहोर जाति द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोली एवं उसके हिन्दी पर्यायवाची निम्नानुसार है :–

क्र.	बिरहोर की बोली	हिन्दी पर्यायवाची
1	अपंग	पिता जी
2	काका	चाचा
3	गुगु	अपने से बड़े को
4	कोडी, लीटिन	बच्ची लड़की
5	कोडा, लिटन	बच्चा, लड़का
6	मंडी	खाना
7	औरिक	बैल
8	बितकिल	भैंस
9	सीम	मुर्गी
10	मेरोम	बकरी
11	औड़ा	घर
12	जोनों	झाड़ू बहिरी

बिरहोर जनजाति की बोली सामान्यतः समझ में नहीं आती है। इनके वाक्य जैसे दुलंग, बुरूते अर्थात जंगल चलो, दुलंग उपते नाहने चलो।

अध्याय - चार

जीवन चक्र

बिरहोर का सामाजिक जीवन शांत तथा सादगीपूर्ण है। ये लोग अपनी जाति के लोगों के साथ उठना बैठना तथा खानपान का व्यवहार करते है। गांव के अन्य लोगों से इनका संपर्क कम रहता है तथा सामाजिक जीवन में अन्य जनजातियों से अलगाव पूर्ण दृष्टिकोण रखते है। बिरहोर सामान्यतः किसी अन्य जाति के सामाजिक कार्य में सम्मिलित नहीं होते और न ही दूसरों को अपने सामाजिक कार्यो में आमंत्रित करते है।

जिन क्षेत्रों में बिरहोर इलाके के आसपास अन्य जातियों के साथ रहते है उन क्षेत्रों में ये दूसरों के सामाजिक कार्यो में सम्मिलित होते है, तथा उन्हें अपने सामाजिक अवसरों में बुलाते भी है। बिरहोर उरांव, मुण्डा आदि जनजातियों के यहां भोजन ग्रहण करते है तथा पानी पीते है। डोम घसिया, चीक आदि से छुआछुत का व्यवहार करते है तथा उनके यहां खानपान नहीं करते है।

4.1 जन्म संस्कार :–

बिरहोर जनजाति के लोग जन्म को ईश्वरीय कृपा या प्रसाद का प्रतिसाद नहीं मानते । वे इसे स्त्री पुरूष के संस्कार का परिणाम मानते है। इस प्रकार बिरहोर का चिंतन वास्तविक के निकट है। महिला गर्भधारण का समाचार मिलने पर बिरहोर परिवार प्रसन्न होते है। गर्भवती स्त्री के लिए खानपान अथवा रहन–सहन की विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। जैसे अन्य महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। वैसे ही घर के लोग गर्भवती महिला के साथ व्यवहार करते है। जिस प्रकार का खाना घर के लोग खाते है वहीं गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है। गर्भवती स्त्री घर का तथा बाहर का सभी कार्य यथावत करती रहती है। प्रमुख पीड़ा के समय तक वह सामान्य रूप से कार्य करती है।

प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर महिला को एक अलग झोपड़ी/कमरे में रखा जाता है। केशेरू दाई जो इन्ही की जाति की होती है, को बुलाकर जचकी का कार्य सौपती है, केशेरू दाई तथा गर्भवती महिला दोनों उस झोपड़ी/कमरे में रहती है एवं जच्चा–बच्चा की देखभाल एवं दवा दारू देने का कार्य करती है। बच्चा पैदा होने पर

कुशेरू दाई घरवालों को खबर करती है। बच्चे की साफ–सफाई करने के उपरांत बच्चे की नाल (बोड़री) काटकर जमीन में गाड़ दी जाती है। नाल (बोड़री) गाड़ने का निश्चित स्थान नहीं होता है। कभी–कभी घर के अंदर ही गड्डा खेदकर गाड़ दी जाती है एवं कभी–कभी घर बाड़ी में अथवा दूर जंगल में गाड़ा जाता है। जचकी के बाद मां तथा बच्चा लगभग 40 दिन तक अलग झोपड़ी/कमरे में रहते है। 40 दिन के पूर्व जच्चा बच्चा दोनों को अपवित्र माने है तथा उसका घर प्रवेश वर्जित रहता है। बच्चा पैदा होने पर किसी प्रकार की रस्म नहीं मनाते इसे स्वाभाविक सामाजिक कृत्य मानते है। शिशु की माता को घर का काम करने नहीं दिया जाता है, और न ही वह खाना पकाती है। 40 दिन पूरे होने के पश्चात मां बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है। इसी के साथ वह अपनी दिनचर्या पूर्ववत प्रारंभ करती है। जैसे पानी लाना, खाना बनाम झाड़ू बर्तन साफ करना इत्यादि गर्भवती स्त्री को इस बीच उसका पति खाना पानी देता है। खाने में गर्भवती को चॉवल दिया जाता है। बच्चे के नामकरण संस्कार सादगीपूर्वक मनाते है। इस संस्कार में नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। और उन्हें शराब मांस तथा भोजन कराते है।

4.2 विवाह संस्कार :–

बिरहोर जनजाति के विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। इस जनजाति में लड़कों की उम्र 16 वर्ष से 20 वर्ष पूर्ण होने पर तथा लड़कियों की उम्र 14 से 18 वर्ष होने पर विवाह किया जाता है। अन्य जनजातियों के समान कम उम्र में विवाह करने की प्रथा प्रचलित नहीं है। बिरहोर जनजाति में विवाह का सर्वाधिक मान्य तरीका माता–पिता द्वारा तय किया गया विवाह है। इसमें सजातीय विवाह अथवा अपनी जाति में विवाह करने की परम्परा है। सजातीय गोत्र वाले आपस में भाई बहन होने का कारण इसमें विवाह निषेध है। विवाह अपने गोत्र के बाहर किया जाता है। इन जनजाति में मामा फूफी के लड़के/लड़कियों से विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के विवाह को अधिमान्यता देते है। विवाह योग्य लड़का/लड़की होने पर उनके पिता अपने रिश्तेदार जाति के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से वर/वधु देखने तथा खबर करने की प्रार्थना करते है। लड़के के पिता भी खबर मिलने पर उनके

कूमा– बिरहोर जनजाति में गर्भवती महिलाओं का प्रसव विशेष रूप से निर्मित इस झोपड़ी में कराया जाता है

रिश्तेदार तथा अन्य बुजुर्ग लोग लड़की की तलाश प्रारंभ करते है। इस प्रकार तलाश आप पास के गांवों तथा बाजार स्थल में बात चीत कर ज्ञात करते है।

4.2.1 मंगनी :–

विवाह योग्य लड़की की जानकारी प्राप्त होने पर लड़का उसके पिता व जाति के दो तीन बुजुर्ग व्यक्ति लड़की देखने जाते है। जहां इनकी आवभगत की जाती है। लड़की के पिता से प्रारंभिकवार्ता करने के पश्चात वह अपनी लड़की को बुलाकर पूछता है। क्या वह इस लड़के के साथ रहना चाहती है। लड़की की स्वीकृति मिलने पर यही प्रश्न लड़के से भी किया जाता है। यदि लड़का लड़की को साथ रखने के लिए राजा होता है तो इसे खम्मक्षी सचान करते है। इसके बाद बारी–बारी से लड़की के पिता तथा लड़के के पिता से पूछते है। दोनों से सहमति होने पर मंगनी के लिए दिन निश्चित कर लेते है तथा लड़का पक्ष के लोग अपने घर वापस आते है। मंगनी के लिए निश्चित किये गये दिन लड़के के पिता अपने रिश्तेदार तथा एक दो बुजुर्गो के साथ लड़की पक्ष के घर जाते है। लड़के वाले लड़की के लिए एक साड़ी, गुड, चांवल, दाल, नमक, हड़िया (चांवल का शराब) लेकर जाते है। कन्या के पिता अपने रिश्तेदार तथा गांव के अन्य बुजुर्गों को लड़की की मंगनी रस्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस रस्म में टोलापारा के लोग भी शामिल होते है। सबसे पहले लड़की के बड़े पिता तथा बड़ी मां यदि हो तो उन्हें पत्तल के दोना में शराब देते है। इसके पश्चात अन्य लोगों को शराब पिलाते है। फिर लड़के के पिता लड़की को साड़ी नारियल तथा कुछ रूपए देकर वधु को आशीर्वाद देते है। वधु फिर एकचित्र हुए बड़े बुजुर्गो के पैर झुक कर छूती है। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग एक साथ भोजन करने बैठते है। भोजन के पश्चात लड़के के पिता एवं उनके रिश्तेदारों को विदा करते है। इस प्रकार की मंगनी की रस्म पूरी होती है।

4.2.2 रोटी तोड़ना :–

मंगनी की रस्म पूरी होने के पश्चात वर पक्ष वाले तय किया गया, अनाज, दाल, तेल एवं रूपया लेकर वधु पक्ष के यहां जाते है। बिरहोर जनजाति में सामान्यतः 1 खंडी चांवल, 5 किलो दाल, 2 किलो तेल तथा 10 या 15 रूपये देने की प्रथा है इन वस्तुओं

की वधु पक्ष को देने के बाद बारात का समय आदि बाते तय की जाती है। फिर लड़का पक्ष के लोग अपना घर वापस चले जाते है। इस प्रथा का बिरहोर जनजाति के लोग खली देना अथवा रोटी तोड़ना कहते है।

4.2.3 हल्दी एवं तेल रस्म :–

वर तथा वधु को अपने–अपने घरों में तेल तथा हल्दी लगाते है। दोनों पक्ष के रिश्तेदार लड़का तथा लड़की के घर एकत्रित होकर उन्हें तेल हल्दी लगाते है। स्त्रियां साथ में गाती तथा बजाती है। घर आये मेहमानों को भोजन कराते हैं तथा शराब भी पिलाते है। यह कार्य दो दिनों तक चलता है जिसे तेल चढ़ाना कहते है।

4.2.4 मण्डप एवं मंडवा गाड़ना :–

तेल चढ़ाने के बाद घर के आंगन में अथवा घर के बार मण्डप तैयार किया जाता है। एवं मण्डप के उपर छांव के लिए जामुन अथवा गुलर की डगाल पत्तियों सहित रखते है। मड़वा तैयार करने हेतु जंगल में सरई, चार की वृक्ष को पहले धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ की जाती है। फिर सुवासा ढेड़हा वर या बधु के जीजा वृक्ष को काटता है। सुवासा इस दिन उपवास रखते है। सुवासा द्वारा लाई गई सरई अथवा चार की लकड़ी से मण्डप के बीच में गाड़ते है।

4.2.5 बारात :–

वर पक्ष के लोग अपनी जाति बिरादरी की बारात लाने हेतु आमंत्रित करते है। बारात में सिर्फ बिरहोर जाति के स्त्री पुरूष तथा बच्चें सम्मिलित होते है। अन्य जाति के लोगों को बारात में नहीं ले जाते है। बारात में बाजा भी इन्ही जाति के लोग बजाते है। वर को सिंगार कराया जाता है तथा धोती कुर्ता एवं छिंदप से बने मुकूट भी पहनाते है। बारात जाते समय ग्राम में ठाकुरदेव तथा घर में दुल्हा देव की पूजा करते है।

4.2.6 टिकावन :–

वर–वधु के पैर धोने के पश्चात उनके माथे पर हल्दी एवं चॉवल का तिलक लगाते है। तिलक लगाने का काम ढेड़ा करता है। जो लड़के को पहले टिका लगाता है। फिर लड़की को टिका लगाता है। बिरहोर जनजाति में विवाह कराने वाले व्यक्ति को ढ़ेहा कहते है जो पुजारी का काम करता है। यह व्यक्ति बिरहोर जनजाति का ही

होता है। इनके विवाह में मंत्र–तंत्र का उपयोग नहीं करते है। विवाह की रस्म एकदम सादगीपूर्ण होती है। टिकावन के पश्चात वर वधू को मंडवा के सात फेरे लगाने को कहते है। इस प्रकार वर वधु द्वारा सात फेरे लगाने के बाद दोनों मंडप में उपस्थित रिश्तेदारों तथा आमंत्रितों के पैर छु कर आर्शीर्वाद लेते है। जिसे जुहारना कहते है। फिर घराती एवं बराती दोनों को भोजन कराया जाता है तथा शराब पिलाते है। भोजन करने के पश्चात बारात वापस जाने की तैयारी करते है। इस बीच उपस्थित रिश्तेदार एवं जाति बिरादरी के लोग अपनी हैसियत के अनुसार वर–वधु को बिदाई के रूप में पैसे बर्तन कपड़ा आदि भेंट करते है। जिसे चुमान कहते है। चुमान होने के बाद वर–वधु बुजुर्गो का आशीर्वाद लेते है फिर बारात वापस लौटती है।

4.2.7 कनकन :–

यह विवाह समाप्ति का रस्म है। इन दिन ढेडहीन वर–वधू को स्नान कराती है तथा रिश्तेदारों व बारातियों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। साथ में हड़िया पिलाते है। उसी दिन से लड़का लड़की अलग झोपड़ी में रहने लगते है। इस प्रकार की झोपड़ी लड़के की शादी तय होने के बाद ही बना दी जाती हैं चार दिनों के बाद चौथ बारात करते है। इसमें वधु पक्ष के दो चार रिश्तेदार लड़के के घर आते है। शाम को भोजन करने के बाद वर वधु को अपने घर चलने का नियंत्रण देते है तथा उन्हें लेकर लड़की के घर जाते है। इस प्रकार विवाह संस्कार पूर्ण होता है।

4.3 विधवा विवाह :–बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को पुनर्विवाह मान्य किया जाता है। विधवा स्त्री अपनी जाति के किसी पुरूष तथा विधुर से विवाह कर सकती है। विधवा विवाह में विवाह की उपरोक्त रस्में नहीं की जाती है। इसमें लड़का लड़की के घर में सामाजिक बंधुओं एवं बुजर्गो के बीच लड़की को चुड़ी पहनाता है और इसी दिन से पति पत्नी के रूप में रहने लगते है।

4.4 बहु–विवाह :–

बिरहोर जनजाति में सामान्यतः बहु विवाह अथवा एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा नहीं है, परन्तु किसी दम्पत्ति की बच्चा न होने पर एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति दी जाती है।

4.5 विवाह पूर्व संबंध :–

बिरहोर जनजाति में अविवाहित लड़का–लड़की विवाह पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित करना मान्य नहीं है लेकिन अविवाहित लड़का–लड़की विवाह पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित करते है तो उनसे हर्जाने के रूप में कुछ रूपये लेकर शादी की अनुमति देते है। यदि कोई बिरहोर लड़की जनजाति के बाहर किसी लड़के अथवा लड़की से संबंध स्थापित करता है तो उसे जाति समाज से बहिष्कृत किया जाता है।

4.6 मृत्यु संस्कार :–

प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। बिरहोर मृत्यु को भगवान की इच्छा समझते है और मानते है कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। प्राकृतिक या अप्राकृतिक दोनों प्रकार की मौत पर इसमें मृतक संस्कार एक जैसे होते है। बिरहोर जनजाति के लोग मृत्यु होने पर शव को जमीन में दफनाते है। किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके रिश्तेदार समाज के लोग पड़ोसी तथा ग्रामवासी मृतक व्यक्ति के घर इक्ठ्ठा होते है। मृतक व्यक्ति के शरीर को लकड़ी की काठी जिसे आमपोर कहते है के उपर रखते है। मृतक व्यक्ति के शरीर में कोई आभूषण हो तो उसे उतार देते है। शव यात्रा में औरत बच्चें एवं पुरूष सब शामिल होते है। मृत व्यक्ति के शव को काठी में रखने के बाद उसके पुत्र, भाई अथवा परिवार के सदस्य काठी को अपने कंघो पर रखकर जंगल में गाड़ने के लिये जाते है। जंगल में किसी स्थान पर शव को रखकर 5–6 फीट गहरा गड्डा खोदते है। जिसमें मृत शरीर को रखकर उपर से मिट्टी डालते है। शव दफनाने के बाद घर वापस आते समय नदी–नाले में हाथ पैर धोते है और घर आने पर हाथ पैर में हल्दी लगाते है। दफनाने गये व्यक्ति थोड़ी देर मृतक के घर बैठकर उनके दुख में शामिल होते है और उसके बाद अपने–अपने घर जाते है। मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को अपवित्र मानते है तथा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को पूरे जाति के लोग एक माह तक खाना खिलाते है। मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य एक माह तक घर के बाहर नहीं निकलते न ही किसी प्रकार का काम करते है। मृतक व्यक्ति के घर वाले एक माह तक मांस–मंदिरा का सेवन नहीं करते है। दो–तीन माह पश्चात जब वे पूरे लोगों को भोज कराते है। इसके बाद उनका छूत समाप्त हो जाता है। अर्थात वे पवित्र हो जाते है।

अध्याय - पांच

धार्मिक जीवन

बिरहोर जनजाति के लोग अन्य हिन्दुओं की तरह देवी देवताओं भूत–प्रेत जादू टोना पर विश्वास करते है। इनके देव भले ही अलग है परन्तु उन पर अटूट श्रद्धा व विश्वास रखते है। प्राकृतिक आपदाओं को देवी देवता का प्रकोप मानते है। इनके देवी देवता लकड़ी पत्थर आदि को प्रतीक मानते हुए अलग–अलग नाम से पूजते है। इनके प्रमुख देवी देवता निम्नानुसार है :–

5.1 बूढ़ी माता :–

ग्राम भीतक्षरा के पास पराईधाम में बुढ़ीमातावास करती है, बुढ़ीमाता की पूजा सप्ताह में एक दिन गुरूवार को होती है, बुढ़ीमाता का अगरबत्ती, धूप, जलाकर पूजा की जाती है। इस देवी की पूजा करने के लिए बिरहोर जनजाति के लोग भी दूर–दूर से आते है और बुढ़ी माता की पूजा अर्चना करते है बुढ़ी माता मंदिर का पण्डा बीमारी व कष्ट निवारण हेतु शगुन विचार कर कष्ट एवं बिमारी दूर करने हेतु भभूत देता है, कुछ भभूत को खाने के लिए देते है व कुछ को शरीर में लगाने के लिए कहते है। बीमार व्यक्ति को 5–6 बार माता के द्वारा आने का निर्देश देता है, इस बीच बीमारी ठीक होने पर बकरा, मुर्गा, मुर्गी, नारियल आदि की बली चढ़ाते है।

5.2 खरिया बदराह देव :–

बिरहोर जनजाति के लोग भूत प्रेत संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक फूट बांस गाड़कर उसकी पूजा करते है। बिरहोर इन्हे खरिया बरदाह देव की प्रतीम मानते है बिरहोर समाज में इस प्रकार की मान्यता है।

5.3 बीरू भूत :–

बिरहोर जनजाति, भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए बीरू भूत की पूजा करते है। इन्हें अगरबत्ती, धूप दिखाते है और भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते है।

5.4 जंगल की देवी :–

बिरहोर जाति के लोग जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जंगल की देवी की

पूजा अर्चना करते है। इसके लिए लकड़ी का एक टुकड़ा जो लगभग एक फीट लम्बा होता है इसे गोला आकार बनाकर कुछ हिस्सा जमीन में गाड़ देते है व उपरी हिस्सा को लाल रंग से रंग देते है, जिसे वनही कहा जाता है। इसे जंगल की देवी मानकर पूजा करते है। इन्हें मरौडा देव भी कहते है। समाज में मान्यता है कि जंगली देवी पूजा करने से जंगली जानवर आक्रमण नहीं करते है।

5.5 महामाया देवी :–

एक लकड़ी के टुकडे के कुछ हिस्सा को जमीन में गाड़कर उसके ऊपरी भाग में लालरंग लगाकर खडा करते है बिरहोर इसे महामाया देवी का प्रतीक मानते है। इसी के समीप पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों को इक्ठ्ठा कर लाल रंग से रंग देते है जिसे बिरहोर भूरी माई या महामाया देवी कहते है। बिरहोर महामाया देवी एंव भूरी माई की पूजा अर्चना बड़ी श्रृद्धा के साथ करते है।

5.6 दुध माई :–

बिरहोर धनुष बाण को दूध माई का प्रतीक मानते है, दूध माई को तुरिया देवी की लड़की के रूप में पूजते है।

5.7 हनुमान :–

बिरहोर पत्थर को लाल रंग से रंग कर जमीन में रखते है जिसे हनुमान का प्रतीक मानकर पूजा करते है। हनुमान देव को इन सभी देवी–देवताओं का प्रमुख मनाते है। बिरहोर अपनी झोपड़ी में पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर कुछ निशान बनाकर टांगते है। उनकी मान्यता है कि ये निशान उन्हें बुरी आत्माओं, सांप, जंगली जानवरों तथा हर प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करती है।

5.8 पूर्वज देव :–

बिरहोर अपने पूर्वजों की पूजा करते है तथा प्रत्येक तीन वर्ष में मुर्गा या बकरा की बलि चढ़ाते है। जिस माह माता तथा पिता की मृत्यु हुई है उसके तीन वर्ष तक उसी महीने में मुर्गा/बकरा की बलि देते है। इसके अतिरिक्त बिरहोर द्वारा अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसमें देवीमाय, महामाया, दरहाबोगा, कुदरी, धोगा, बनहीमाय, लुगुमाय, ढुकाबोगा आदि प्रमुख है। इन देवी–देवताओं के प्रतीक तथा

पहचान निम्न प्रकार के है :–

1. दरहा बोग – नदी के देवता / इनके प्रतीक स्वरूप बास का टुकड़ा गाड़ते है।
2. बनहीमाया – जंगल की देवी / प्रतीक स्वरूप छोटी लकड़ी में सिन्दुर लगाकर जमीन में गाड़ते है।
3. दुकाबोगा – पहाड़ का देव / प्रतीक स्वरूप सफेद पत्थर के सिरे पर लाल रंग लगाते है।

5.9 जादू–टोना :–

बिरहोर जनजाति के लोग अन्य आदिवासियों के समान जादू–टोना, झाड़फूक, भूतप्रेत जैसे अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते है। बीमार पड़ने अथवा विपत्ति आने पर बैगा, ओझा, गुनिया तथा पण्डा से झाड़–फूक कराते है। महामारी अथवा बीमारी को जादू–टोना तथा भूत प्रेत का प्रकोप मानते हुए बैगा, ओझा के शरण में जाते है। जंगल में तथा पुराने पेड़ पर भूत प्रेत का वास होने की मान्यता है। इसलिए बिरहोर जंगलों में जाकर पूजा अर्चना करते है व बकरा, मुर्गा, सुअर आदि की बली चढ़ाते है। बिरहोर बैगा, ओझा तथा गुनिया को काला जादू का जानकार मानते है। जादू–टोना के द्वारा लाभ पहुचाने अथवा हानि पहुचाने की शक्ति होती है। इसलिए बिरहोर इनसे डरते भी है और श्रद्धा भी रखते है। उनकी मान्यता है कि ओझा के रूप में आत्मा होती है। जिसे भेजकर अपना काम कराते है। ओझा के पास मारक–तारक दोनों शक्तियाँ होती है। बिरहोर यह मानते है कि ओझा वंश में किए हुए शक्ति को भेजकर बीमारी का कारण ज्ञात करते है तथा उसके अनुसार तंत्र–मंत्र द्वारा उपचार करते है। इसी प्रकार किसी बैरी दुश्मन को तंग करना हो तो भी ओझा बुरी आत्मा को भेजकर दुश्मन के यहां नाना प्रकार के उपद्रव का सृजन करा सकते है।

इस प्रकार बिरहोर ओझा अथवा गुनिया को सर्व शक्तिमान मानते है। बिरहोर गुनिया को देवार कहते है तथा उनके उपचार को भुईसमाड़ना कहते है। इस प्रकार बिरहोर अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते है एवं बीमारी तथा विपत्तियों का कारण इन शक्तियों की नाराजगी को मानते है। इनकी नाराजगी दूर करने के लिए इनकी पूजा करते है तथा बलि चढ़ाते है।

5.10 त्यौहार :–

बिरहोर जनजाति में कई प्रकार की त्यौहारें मनाई जाती है जो निम्न प्रकार की है:–

5.10.1 तीज त्यौहार :–

बिरहोर जनजाति की महिलायें अन्य जनजाति महिलाओं के सामान भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन बिरहोर महिलाएँ भी अपने पति की दीर्घायु एवं बच्चों की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव एवं मॉ पार्वती की निर्जला उपवास रखते हैं, रात में नई साड़ी पहनकर पूजा करतें हैं।

5.10.2 माघपक्ष :–

बिरहोर जनजाति के लोग पौष एवं माघ के महिने में माघ पक्ष का त्यौहार मानते हैं, इस पर्व में बिरहोर भगवान शिव की पूजा करते हैं।

5.10.3 फागुन होली :–

बिरहोर फागुन के महिने में अन्य जनजातियों के सामान होली का त्यौहार मनाते हैं।

5.10.4 करमा त्यौहार :–

बिरहोर माह–सितम्बर में सरगुजा सम्भाग की जनजातियों के सामान ही करमा त्यौहार मानते है इस दिन करम पेड़ के डाली को जंगलो से लाकर घर में पूजा करते हैं एवं रात्रि में करम पेड़ की डाली को गांव में चौराहा में गाड़कर उसके चारों ओर मांदर की थाप के साथ सभी लोग मिलकर नृत्य करते हैं।

5.10.5 जुतिया :–

बिरहोर जाति की महिलाएँ माह सितम्बर में अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है एवं मॉ दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना करते हैं।

5.10.6 नावाखाई :–

बिरहोर जाति के लोग माह–अक्टुबर में नावाखाई का त्यौहार मनाते हैं, इस दिन बिरहोर नये धान के चावल की खीर बनाकर अपनी देवी–देवता में चढ़ाते तथा बकरा, मुर्गा, आदि की बलि देते हैं।

उपरोक्त त्यौहारों के अतिरिक्त बिरहोर हिन्दु त्यौहारो जैसे– होली, दीपावली, हरेली, रक्षा बंधन, दशहरा, को त्यौहारो के रूप में मनाते हैं। तथा प्रसाद चढ़ाते है। कुछ त्योहार को अपने जाति के लोगो के साथ मनाते हैं। इन त्यौहारो में बिरहोर सामुहिक नृत्यगान करते हैं। कुछ त्यौहारों के हिसाब से इनके नृत्य निश्चित हैं जैसे– करम व जीवतिया त्यौहारो के समय ये भूतरी नृत्य करते हैं। फगुवा तथा सरहुल के समय जरगा नृत्य करने का रिवाज है। सोहनतारी नृत्य किसी भी त्यौहार अथवा अन्य अवसरों में करते हैं। करमा त्यौहार में पुरूष एक–दुसरे के बाल में करम पेड़ की पत्ति लगाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। जबकि स्त्रियॉ इस त्यौहार में अन्य स्त्री को करम की पत्ति नहीं देती है।

5.11 धार्मिक नेतृत्व :–

बिरहोर जनजाति के धार्मिक मामलों में ढ़ेड़ा पुजारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ढ़ेडा बिरहोर जनजाति का ही होती है, जो पूजा पाठ का काम करता है यह व्यक्ति विवाह का कार्य भी सम्पन्न कराता है। पूजा पाठ तथा विवाह मृत्यु संस्कार कराने हेतु किसी ब्राम्हण की सेवा नहीं ली जाती है तथा ढ़ेडा पुजारी इन सब कार्यो को सम्पन्न करते हैं।

अध्याय - छः

लोक परम्पराएँ

बिरहोर जनजाति में भी अन्य जनजातियों के भांति साल के महिने, ऋतुओं एवं त्यौहारों में लोक नृत्य, लोकगीत, एवं लोक कथा गाने, कहने की प्रथायें चली आ रही है।

6.1 लोक नृत्य :–

लोक नृत्य प्रदर्शन कारी कलाओं के अंतर्गत आता है। इसमें कलाकार गीत, कथा के माध्यम से अपने शरीर के अंगों को प्रदर्शित करता है। बिरहोर जनजाति के प्रचलित लोकनृत्य निम्नानुसार है–

6.1.1 करमा नृत्य :–

करमा नृत्य की परम्परा भारत के कई जनजातियों में देखने को मिलती हैं छत्तीसगढ़ में गोड़, बैगा, उरांव, कमार, कंवर, पंडो, बिंझवार, बिरहोर आदि जनजातियों में करमा नृत्य किया जाता हैं। करमा नृत्य गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। करमा नृत्य गीतों में आदिवासियों के प्रेम, श्रृंगार के साथ प्रत्येक व्यक्ति विधियों की समसायियक समग्र अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। करमा मूलतः मुडा और उरांव जनजातियों का आदिम नृत्य है। करमा कहीं पुरूष और कहीं कहीं स्त्री–पुरूष की समान भागीदारी का नृत्य है। जनजातियों के साथ–साथ अन्य जातियों यथा ढीमर, कुर्मी, आदि में भी करमा नृत्य किया जाता है। करमा सर्वांग सुन्दर नृत्य है। करमा का केन्द्रिय वाद्य मांदर है। प्रायः यह विजयादशमी से प्रारम्भ होकर अगली वर्षा ऋतु के आरम्भ तक चलता है। इस नृत्य में प्रायः 8 पुरूष और 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। युवक और युवतियां गोलार्ध बनाकर आमने–सामने खड़े हो जाते हैं। एक दल गीत का कड़ी उठाता है जबकि दुसरा दल उसे दोहराता है। नृत्य में युवक युवती आगे पीछे चलने में एक–दुसरे के अंगुठे को छुने की कोशिश करते हैं।

6.1.2 शैलानृत्य :–

शैला शुद्धतः जनजातीय नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम एवं भाई चारे का प्रतिक है। शैला का अर्थ ''शैल'' या डण्डा होता है। शैल–शिखरो पर रहने वाले लोगों

परंपरागत वाद्य यंत्र के साथ बिरहोर पुरूष

द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम शैला(सैला) पड़ा। यह नृत्य दशहरे में आरम्भ होकर सम्पूर्ण शरद ऋतु की रातो तक चलता है। यह नृत्य मूलतः पुरूषो द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक सारी वेशभूषा में हाथों में डण्डा लेकर एवं पैरो में घुघंरू बांधे गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर बीच–बीच में दोहे भी बोले जाते हैं। मांदर इस नृत्य का मुख्य वाद्य होता है। इस नृत्य का पुराना नाम सैला रीना है।

6.1.3 सरहुल नृत्य :–

यह उरांव आदि मुण्डा जनजातियों का आनुष्ठानिक नृत्य है। बिरहोर जनजाति के लोग वर्ष में चैत मास की पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते है और उसके आस–पास नृत्य करते हैं। सरहुल एक सामुहिक नृत्य होता है। इसमें युवक–युवती तथा प्रौढ़ सभी अत्यंत उमंग और उल्लास के साथ भाग लेते हैं। इस नृत्य में पुरूष विशेष प्रकार का पीला साफा बांधते हैं जबकि महिलाएं अपने जूड़ो का संचालन वाद्य की ताल पर नहीं बल्कि गीतों की लय और ताल़ पर होता है। इस नृत्य का मुख्य वाद्य मांदर एवं झांझ होता है।

6.2 लोक गीत :–

बिरहोर जनजातियों में मनोरंजन के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना, त्यौहारों एवं विभिन्न संस्कारो में विभिन्न प्रकार की लोकगीत गाया जाता है। जो निम्न है–

6.2.1 संस्कार गीत :–

1. **सोहर** – **बच्चों के जन्म के साथ या पहले गाया जाने वाला जन्मगीत है।**
2. **चूलमाटी** – **विवाह आरंभ के समय मिट्टी लाने के नेग के अवसर पर यह** गीत गाया जाता है।
3. **तेलचघी गीत** – **जब वर एवं कन्या को तेल हल्दी लगाया जाता है तब यह** गीत गाया जाता है।
4. **भांवरगीत** – **विवाह में फेरे के समय यह गाया जाता है।**
5. **टिकावन गीत** – **विवाह सम्पन्न होने पर नव–दम्पत्ति को उपहार देते समय** यह गीत गाया जाता है।

6.3 पर्व गीत :–

बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न पर्वो में पर्वगीत गाते है। जो निम्न प्रकार की है :–

1. **फागगीत :–** **फाग गीत होली में गाया जाने वाला गीत है।**
2. **करमागीत :–** **यह पर्वगीत है करमा गीतों में बहुत विविता होती है। ये किसी** एक भाग या स्थिति के गीत नहीं है इसमें दैनिक जीवन की गतिविधि एवं स्थितियों के साथ प्रेम,, श्रृंगार का गहरा भाव भी होता है।
3. **सरहुलगीत :– सरहुलगीत सरहुल नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है।**
4. **छेरतागीत :– पौष की पूर्णिमा को आयोजित छेर–छेर पर्व में बालक** बालिकों द्वारा गाया जाने वाला गीत है।

6.4 लोक चित्रकला :–

बिरहोर जनजाति में लोकचित्र कला की अपनी परम्परा रही है। जो विशिष्ट अवसरों त्यौहारों पर ग्रह सज्जा के रूप में भित्ति चित्रों, चौक, भूमि पर अलंकरण के साथ कपड़ा, लकड़ी की पट्टिका, गोदना शरीर सज्जा आदि में भी दिखती है बिरहोर महिलाओं में गोदना लिखवाना काफी प्रचलित है। बिरहोर जनजातियों में लोक चित्रकला के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित है :–

1. **सवनाही :– बिरहोर श्रावण मास की हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार** पर गोबर से सवनाही का अंकन करती है। इसमें चार अंगुलियों से घर के चारों ओर मोटी रेखा में घेरा जाता है। एवं मानव तथा पशुओं का चित्राकंन किया जाता है। शेर के शिकार के चित्र भी इसमें उकेरे जाते है। हरेली के अवसर पर जादू–टोने की मान्यता को ध्यान में रखते हुए उसमें बचाव के लिए ये अंकन किये जाते है।

2. **घर श्रृगांर :– बिरहोर महिलाओं में अपने घरों को सजाने की कला देखने को** मिलती है। लिपी हुई दीवार पर गेरू, काजल, पीली मिट्टी आदि से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां रूपांकन एवं रंग संयोजन किया जाता है।

3. **गोदना :– बिरहोर महिलाएं अपनी बांह, ठोढ़ी, गाल आदि पर गोदने से**

विभिन्न आकृतियों बनवाती है। गोदना लोकजीवन का प्रतीक एवं जीवन्त लोक चित्रकला का उदाहरण है।

4. नोहडोरा :– मिट्टी का नया घर बनाते समय बिरहोर गहरे अलंकरण द्वारा सज्जात्मक कृतियां बनाती है। जिसे नोहडोरा कहते है। यह कला कृति दीवारों पर बनायी जाती है व इसमें पशु पक्षी, फुल पत्तियों, पेड़–पौधे आदि का चित्रण किया जाता है।

6.5 लोक रूपंकर कला :–

बिरहोर जनजाति शिल्प कलाओं में भी परांगत है वहीं छत्तीसगढ़ के जनजातियों में भी समृद्ध शिल्प परम्परा विद्यमान है बिरहोर जनजाति के शिल्प कलाएं निम्न है :–

1. बांस शिल्प :– बिरहोर जनजाति के लोग अपने घरलू उपयोग में आने वाले समान अपने हाथों से बनाते है। बांस से बनी कलात्मक वस्तुएं सौदंर्य परक एवं जीवनोपयोगी होती है। इस कारण बांस शिल्प की महत्ता जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। बिरहोर बांस से सुपा, झौडी, टोकरी एवं अन्य घरेलू उपयोग में आने वाली समान बनाते है।

2. पत्ता शिल्प :– बिरहोर पत्ता शिल्प में भी परांगत होते है। पत्ता शिल्प के कलाकार मूलतः झाडू बनाने वाले होते है। झाडू के अलावा पत्ता शिल्प का नमूना छिंद के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दुल्हा–दुहन के मोड़ आदि में देखने को मिलता है।

3. रस्सी शिल्प :– बिरहोर जनजाति का परंपरागत व्यवसाय जंगली पौंधों, तनों, पटसन, पटवा, प्लास बांक से रस्सी निकाल कर घरेलू उपयोग में आने वाले जैसे पालतू जानवर गाय, बैल, भैंस को बांधकर रखने वाली रस्सियां, सिका, बहंगा, गेरवा, डोर आदि प्रकार की रस्सी इनके द्वारा बनाया जाता है।

अध्याय - सात

सामाजिक संरचना

7.1 सामाजिक संस्कार :–

बिरहोर जनजाति में सामाजिक बंधन अत्यंत कठोर है तथा इनका उल्लंघन करने की हिम्मत कोई बिरहोर नहीं करता। सामाजिक नियमों से इनके व्यवहार तथा जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं एवं नियमों के प्रतिकुल आचरण करने पर समाज उन्हें दण्डित करता है।

बिरहोर सामान्यतः एक पत्नी प्रथा के अनुयायी है इसमें बहु पत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है। इस प्रकार बिरहोर परिवार में माता–पिता अपने अविवाहित बच्चों को साथ में रखते है। वयस्क लड़का/लड़की के विवाह होने पर वे अलग से झोपड़ी बनाकर रहते है तथा अपने माता–पिता से अलग रहते है। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन है परन्तु विवाह विधुर से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी पत्नी न हो विवाह कर सकती है। केवल संतानहीन दम्पत्ति दूसरी औरत रख सकता है। अन्यथा समाज उसे दण्डित करता है।

7.2 बिरहोर के उपविभाग :–

बिरहोर जनजाति के मुख्यतः दो विभाग है :–

1. **जांघी या घसिया :– जांघी या घासिया बिरहोर घुमन्तु जीवन से उब कर** जंगल या पहाड़ के पास स्थाई रूप से बस गये है, एवं आस–पास के जंगलों को साफ करके खेती करने लगे है, कुछ बिरहोर स्थायी रूप से बसे किन्तु उसके पास जमीन नहीं होने का कारण वे जंगलों में शिकार, वनोपज संग्रहण, जंगली पौधों से रस्सी निकालने का कार्य करते है व स्थानीय बाजारों में बेचकर अपना आजीविका चलाते है।
2. **अथलु या झुसिया बिरहोर :– इस प्रकार के बिरहोर बरसात के मौसम को** छोड़कर अन्य मौसम में जंगल घूमते रहते है केवल वर्षाकाल में छोटी सी झोपड़ी तैयार करके अपने परिवार के साथ रहते है, घुमन्तु जीवन व्यतीत करने वाले इस श्रेणी के बिरहोर जंगल में बंदर, शिकार तथा जंगली बैल

उपलब्ध होने तक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते है। उपरोक्त बस्तुएं कम होने पर उस स्थान को छोड़ देते है। ये दो उप विभाग प्रमुख रूप से है जिसकी जानकारी बिरहोर साक्षात्कार के समय उनके द्वारा बताया गया है।

3. बिरहोर को बंदर पकड़ने वाले कहने की प्रथा :– बिरहोर लोगों को उस क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले कहकर बुलाते है। बिरहोर इस संबंध में प्रचलित किस्से का बयान करते हुए कहते है कि एक बार महादेव भगवान टंगिया, बसूला पकडकर शिकार करने गये शिकार करते करते चालीस जंगल निकल गये और भुख प्यास से बेहाल हो गये तो उन्होंने फल खाकर भूख मिटाई व नाले का पानी पीकर प्यास बुझाई, थोडी देर विश्राम करने के बाद इसकी इच्छा नाचने गाने की हुई तब वे एक पेड़ काटकर ढोलक बनाये तथा उस पर चमड़ा चढ़ाने के लिए शिकार खोजने लगे। पेड़ पर बैठे बंदर का शिकार करके उसके चमड़े का खोल ढोलक पर लगाये और उसे बजाकर नाचने लगे।

7.3 बिरहोर जनजाति में मुख्यत :–

1.	सनमानी	8.	चटिया
2.	बाघ	9.	बांदी
3.	भैंसा	10.	सोनवानी
4.	कोसन्दी	11.	कलियारी
5.	छअर	12.	टोपवार
6.	बाड़ी	13.	टोपवार
7.	बघेल	14.	मुडियार

आदि गोत्र पाये जाते है।

7.4 नातेदारी सम्बोधन :–

बिरहोर जनजाति में नातेदारी एवं रिश्तेदारी का संबंध है। बिरहोर अपने से बड़ों का सम्मान करते है। अपने से बड़ों एवं समान उम्र के लोगों से अभिवादन के रूप में दोनों हाथ जोड़कर जोहार करते है। कम उम्र के लोग मिलने पर जोहार नहीं करते बल्कि प्रेमभाव से स्नेह पूर्वक हालचाल पूछते है, छोटा व्यक्ति बड़ों का पांव छुता है। नातेदारी सम्बोधन बिरहोर में निम्न प्रकार है :–

क्र.	हिन्दी	बिरहोर बोली
1.	दादा	दादी
2	दादी	आजी
3	पिता	बुआ
4	मां	मां
5	छोटे भाई	भाई
6	बड़े भाई	ददा
7	चाचा	कका
8	चाची	काकी
9	फुआ	मामी
10	मामा	ममा
11	मामी	मामी
12	नाना	आजा
13	नानी	आजा

7.5 अंतर्जातीय संबंध :–

बिरहोर जनजाति के लोग अन्य जाति के लोगों के यहां भोजन नहीं करते है। अन्य समाज में जन्म संस्कार (छठ्ठी), विवाह संस्कार (शादी), मृत्यु संस्कार के समय अन्य समाज का निमंत्रण मिलने पर शामिल होते है। किन्तु वहां भोजन नहीं करते बल्कि सुखा चांवल, दाल, सब्जी, उनसे ग्रहण करते है, जिसे बिरहोर समाज वाले अलग–अलग बनाकर खाते है। बिरहोर लोग बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते है और अन्य जनजातियों से सौहाद्रपूर्ण व्यवहार रखते है। ये अपने को ब्राम्हण, वैश्य, क्षत्रिय तथा अन्य जनजातियों में उरांव, कंवर, गोड़ आदि से छोटा मनाते है। बीड़ी तम्बाकू तथा अन्य पेय पदार्थ, शिकार करने में कोई भेदभाव नहीं रखते है।

7.6 सामाजिक नियंत्रण :–

बिरहोर जनजाति में सामाजिक नियमों को पालन करने की अनिवार्यता है। इस प्रकार इनके सामाजिक नियम अत्यंत कठोर होते है। बिरहोर अपने ही समाज में विभन्न गोत्र वाले से विवाह करते है। बिरहोर में एक ही शादी करने की प्रथा है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता है, दूसरी पत्नी रखने की अनुमति उसी स्थिति में दिया जाता है जब पहली पत्नी से कोई संतान न हुआ हो एवं उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, अर्थात विधुर व्यक्ति की दूसरी शादी किसी विधवा औरत को चुड़ी पहनाकर किया जाता है। जाति के बाहर किए गये संबंध को बिरहोर स्वीकार नहीं करते है उसे जाति से निष्कासित कर देते हैं।

अध्याय-आठ

राजनैतिक संगठन

8.1 जाति पंचायत :–

बिरहोर जनजाति में सामाजिक नियंत्रण हेतु बनाये गये नियम अत्यंत कठोर है और उनके परिपालन के लिए जाति पंचायत गठित है। बिरहोर जनजाति के गांव में अधिकांश लोग बिरहोर होते है। इसलिए अपने ग्राम के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सामाजिक मुखिया मानते है एवं उसके निर्णय को सभी मानते है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विवाद का निपटारा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। बिरहोर परिवारों की संख्या किसी भी ग्राम में अधिक नहीं होती है, जिससे वे आपस में मिल जूलकर रहते है और विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती। यदि आपस में झगड़ते है तो उसका निराकरण गांव के बुजुर्ग करते है। इसमें उठना–बैठना भोजन पानी का संबंध केवल सजातीय लोगों के साथ होता है और अन्य जाति के लोगों के साथ व्यवहार सीमित होता है। इसलिए इसमें जाति से बाहर जाने की हिम्मत अथवा साहस नहीं होता। सजातीय विवाह ही समाज में स्वीकृत है यदि कोई बिरहोर अन्य जाति की लड़की/लड़के से विवाह करता है तो उसे जाति से निकाल दिया जाता है और उसे किसी भी स्थिति में जाति समाज में शामिल नहीं करते है, एवं समाज के द्वारा इसे मृत समझा जाता है। यदि कोई अविवाहित महिला किसी बिरहोर पुरूष से गर्भ धारण करती है तो समाज के लोग उनसे अर्थदण्ड लेकर विवाह करने को कहते है और इस प्रकार किए गए विवाह को मान्य करते है।

8.2 ग्राम पंचायत :–

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बिरहोर बाहुल्य ग्रामों में वैधानिक रूप से चुने हुए सदस्यों की ग्राम पंचायत गठित है। इन ग्राम पंचायतों का कार्यक्षेत्र एक अथवा एक से अधिक ग्रामों तक फेला हुआ है। इन ग्राम पंचायतों का कार्य ग्राम के आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक विकास समस्याओं का निराकरण करना है। ग्राम पंचायत ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी समुदाय अथवा धर्म के अनुयायी है सबके लिए समान रूप से कार्य करते है, इसलिए इन पंचायतों के निर्णय को सभी समुदाय के लोग आदर की दृष्टि से देखते है तथा उसे स्वीकार करते है।

8.3 बिरहोर नेतृत्व :–

बिरहोर अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में जीवन यापन करते है ये आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए है। जंगल–जंगल भटकने के कारण समाज के अन्य लोगों से इनका सम्पर्क भी कम है। उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित नहीं हुई है और न ही नेतृत्व करने की कोई महत्वकांक्षा इनमें है। इसलिए वर्तमान समय में इनकी राजनैतिक पहुच नहीं के बराबर है। किसी भी ग्राम में इनकी संख्या अधिक न होने के कारण ग्राम स्तर का नेतृत्व भी इनके हाथों में नहीं है।

8.3 सामाजिक संगठन :–

बिरहोर की सामाजिक संगठन ग्राम स्तर पर किसी बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्ति को ग्राम प्रमुख (मुखिया) बनाया जाता है। जो ग्रामीण स्तर पर सामाजिक नियमों का उलंघन, आपसी विवाद होने पर ग्राम स्तर पर बैठक बुलाया जाता है। इस बैठक में ग्राम प्रमुख अपना निर्णय देता है, जिससे सभी बिरहोर मानते है। बिरहोर जनजाति में आपसी झगड़े–लड़ाई को ग्राम स्तर पर ही निपटारा किया जाता है। थाने तक मामला न जाय ऐसा प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। यदि कोई मामला ग्राम स्तर पर नहीं सुलझ पाता है तो समाज के बड़े पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। प्राय : समाज में शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये बड़े सामाजिक पदाधिकारी समय–समय पर सामाजिक बैठक आयोजित करते है। सामाजिक विचार–मंथन व समाज को आगे बढ़ानेहेतु प्रेरित करते है।

सामाजिक संगठन।

बिरहोर जनजाति (समाज)

ग्राम स्तर पर (जाति पंचायत)

ग्राम प्रमुख (मुखिया)

जिला स्तर पर (जाति पंचायत)

1 अध्यक्ष

2 उपाध्यक्ष

अध्याय-नौ

आर्थिक जीवन

आर्थिक दृष्टिकोण से बिरहोर अत्यंत गरीबी की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहें है। बिरहोर घुमन्तु (घुमक्कड) जीवन व्यतीत करने के कारण इनके पास न तो कृषि भूमि थी और ना हीं ये कृषि कार्य करते थे। बंदर पकड़ना जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगली पेड़ों के छाल से रस्सी तैयार कर बेचना इनके आय का मुख्य स्त्रोत था। खाद्य पदार्थ की कमी होने पर ये भीख मांगकर भी जीवन यापन करते थे, दूसरे के विवाह तथा अन्य उत्सवों में बाजा बजाने का कार्य भी करते थे। इस प्रकार इनकी आजीविका चलाने के लिए कोई निश्चित आय का स्त्रोत न होकर विविध प्रकार के कार्य करके अपना उदरपूर्ति करते थे। जंगली कंदमूल, फलफूल तथा पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। बिरहोर विकास अभिकरण के गठन के पश्चात ये स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने लगे है। अभिकरण द्वारा संचालित योजना जैसे आवास निर्माण, कुटी निर्माण योजना के अंतर्गत इन्हे मकान आबंटित किये गये है। कृषि योग्य भूमि वितरण भी किये जाने के साथ–साथ इन्हे खेत एवं मेंड व भूमि मरम्मत, बीज अनुदान, ऋण अनुदान, बीज हेतु सहायता दी गई है। खाद्य बीज, कृषि उपकरण बैल आदि देकर इन्हें कृषि करने की ओर प्रेरित किया गया है। इस प्रकार आवास गृह उपलब्ध कराने के कारण व कृषि भूमि उपलब्ध कराये। फलस्वरूप अब ये स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे है।

9.1 सम्पत्ति संबंधी अवधारणाएं :–

बिरहोर जनजाति का मुख्य परम्परागत व्यवसाय पूर्व में जंगली जानवरों जैसे – बंदर, खरगोश, साही पक्षी, गोह आदि का शिकार करना तथा जंगली पेड़ जैसे – महुआ, उदल, सागी, सिहारी आदि छाल से रस्सी निकालकर डोरा, बैहका बनाकर स्थानीय बाजार में विक्रय करना एवं जंगलों में पाये जाने वाले वनोपज तेन्दुपत्ता, महुवा, चार, टोरी, हर्रा, बेहड़ा आदि वनोपज का संग्रहण कर स्थानीय बाजार में विक्रय करना था। घुमन्तु प्रवृत्ति होने के कारण इनके आवास स्थल बदलते रहते थे तथा कृषि कार्य नहीं करते थे। इसलिए इनके पास न तो आवासीय भूमि थी और न ही कृषि भूमि का पट्टा था। बिरहोर जनजाति का एक वर्ग जो घुमक्कड़ जीवन से ऊब गये है

स्थायी रूप से निवास करने लगे एवं खेती करने लगे थे। बिरहोर की सम्पत्ति में उसके आवास तथा कृषि भूमि, शिकार करने के उपकरण, वस्त्र, वनोपज संग्रहित करने के लिए उपकरण तथा रस्सी बनाने की सामग्री आदि सम्मिलित है। भूमि को छोडकर बाकी सभी वस्तुएं जैसे बंदर पकड़ने का जाल, वनोपज संग्रहण करने की टोकरीयां, रस्सी बनाने की बांस का ढेरा, इत्यादि अत्यंत कम मूल्य की वस्तुएं हैं, बिरहोर इन्ही को अपनी सम्पत्ति मानते है। इसके अतिरिक्त घरेलु उपयोग की सामग्री जैसे खाना पकाने के लिए बर्तन, कुरसुल आदि भी उसकी सम्पत्ति का अंग है। इसके अलावा मुर्गा तथा बकरा–बकरी आदि भी उसकी सम्पत्ति में शामिल है। इनका विभाजन पुरूष उत्तराधिकारों में समान रूप से किया जाता है।

बिरहोर जनजाति में पैतृक सम्पत्ति का वितरण पुरूष संतानों के मध्य बराबरी के आधार पर किया जाता है। बिरहोर जनजाति में सम्पत्ति के नाम पर बहुत कम वस्तुएं होती है और जो वस्तुएं है उनका मूल्य नही के बराबर है, इसलिए सम्पत्ति के बंटवारे में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। उत्तराधिकारी जहां चाहे वहीं आवास कुटिया बना लेते है। इसी प्रकार पड़त भूमि अथवा जंगल के पास भूमि में काश्त करने लगते है।

9.2 अर्थव्यवस्था :–

बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार, रस्सी बनाना, बंदर पकड़ना तथा अभाव के दिनों में भिक्षावृत्ति का जीवन यापन करते थे। बिरहोर पूर्व में कृषि एवं मजदूरी कार्य नहीं करते थे एवं घुमन्तु जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास हल बैल तथा कृषि के अन्य उपकरण भी नहीं थे जिससे ये खेती का कार्य कर सके। झोपड़ी के आसपास जंगल की भूमि पर मोटे अनाज जैसेः कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द तथा साग–सब्जी पैदा करते थे। कृषि कार्य का ज्ञान नहीं होने के कारण उत्पादन अत्यंत कम होता था जो दो–तीन माह तक मुश्किल से चलता था। वर्ष के शेष दिन में ये घुमन्तु वनोपज शिकार एवं रस्सी विक्रय कर प्राप्त आमदनी से खर्च चलाते थे। बिरहोर जनजाति में जैसे पूर्व में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग घुमन्तु जीवन से ऊब कर स्थाई रूप से एक स्थान पर बस गये है और आसपास की

रस्सी –रस्सी निर्माण करती बिरहोर महिला

शिकार उपकरण – शिकार उपकरणों से सुसज्जित बिरहोर

भूमि को कृषि योग्य बनाकर खेती करने लगे है। बिरहोर विकास की योजना संचालित करने के पश्चात अन्य घुमन्तु बिरहोर भी अब स्थाई रूप से एक स्थान पर बस गये है। और इधर–उधर नहीं भटकते रहें। सामान्यतः सभी बिरहोर परिवारों को इंदिरा आवास/आवास कुटीर योजना के अंतर्गत मकान आबंटित किए गये है। जिसके परिणाम स्वरूप सभी के पास मकान है। इसी प्रकार नई बिरहोर परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई है जिससे कृषि की ओर आकर्षित हुए है तथा खेती करने लगे है। बिरहोर जनजाति की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बिरहोर बाहुल्य क्षेत्र के दो विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर व विकासखण्ड धरमजयगढ़ जिला – रायगढ़ के नौ ग्रामों के एक सौ बीस बिरहोर परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परिवार सर्वेक्षण अनुसूचि के अंतर्गत प्राप्त जानकारी अनुसार विवरण निम्नानुसार है :–

तलिका क्र. 9.2 सर्वेक्षित बिरहोर परिवारों की ग्रामवार संख्या

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	बिरहोर जाति की जनसंख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1	बुलडेगा	पत्थलगांव	26	44	36	80
2	सांवाटोली	––..––	06	09	11	20
3	बरपानी	धरमजयगढ़	10	17	14	31
4	सिंवार	––..––	01	–	01	01
5	खर्रा	––..––	20	38	41	79
6	रायमेर	––..––	12	20	22	42
7	ओंगना	––..––	07	22	11	33
8	सकरलिया	––..––	10	11	12	23
9	जमरगा	––..––	06	15	08	23
10	रूंवाफुल	––..––	22	32	33	65
योग			**120**	**208**	**189**	**397**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 120 बिरहोर परिवारों की कुल सदस्य संख्या 397 है अर्थात बिरहोर जनजाति की प्रति परिवार औसत सदस्य संख्या 3.31 प्रतिशत है। बिरहोर जनजाति में लिंगानुपात कुल 397 सदस्यों में 208 पुरूष एवं 189 महिलाएं है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में पुरूष की संख्या महिलाओं की तुलना में 19 अधिक है।

बिरहोर जनजाति के लोग छोटे–छोटे समुहों में निवास करते है। जैसे कि सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि चुने हुए 10 ग्रामों में 01 से 26 परिवार बिरहोर जनजाति के है इसी प्रकार विकासखण्डों मे भी गिने चुने ग्रामों में बिहरहोर निवास करते है इसका कारण संभवतः उस क्षेत्र के जंगलों में उपलब्ध लता, बेल, जंगली जानवर, कंद फल फूल इत्यादि के मान से इनकी संख्या सीमित रहती है।

तलिका क्र. 9.2.1 विकासखण्डवार बिरहोर परिवारों की संख्या

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम की संख्या
1	जशपुर	दुलदुला	01
2	——„——	पत्थलगांव	02
3	——„——	कांसाबेल	05
4	——„——	बगीचा	04
5	——„——	कुनकुरी	01
6	——„——	फरसाबहार	01
7	रायगढ़	धरमजयगढ़	18
8	——„——	घरघोड़ा	04
9	——„——	तमनार	01
10	——„——	लैलुंगा	02
योग			**42**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिरहोर जनजाति जिला जशपुर एवं रायगढ़ के दस विकासखण्डों के 42 ग्रामों में सीमित संख्या में निवासरत है।

9.3 परम्परागत व्यवसाय :–

जैसा कि उल्लेखित है कि बिरहोर घुमन्तु जीवन व्यतीत करने के कारण न तो इनके पास स्थाई आवास होते थे और न ही कृषि कार्य करते थे। इनका प्रमुख व्यवसाय जंगली जानवरों का शिकार करना, बंदर पकड़ना, वनोपज जैसे–चार, महुआ, तेन्दुपत्ता, हर्रा आदि एकत्रित कर स्थानीय बाजार में विक्रय करना एवं अन्य

कन्दमूल फलफूल पत्ते एकत्रित कर भोजन करना है, जंगली पेड़ों की छाल अथवा चोप एवं सन की रस्सी बनाकर स्थानीय बाजार में विक्रय कर आमदनी कमाकर जीवन यापन करते थे। बिरहोर शादी ब्याह एवं अन्य उत्सवों में बाजा बजाकर भी अपनी उदरपूर्ति करते थे। इसी प्रकार कुछ बिरहोर बैगा गुनिया अथवा झाड़ फूक करके भी बिमारियों का उपचार भी करते थे, एवं अपनी झोपड़ी के आसपास की बंजर जमीन को भी साफ कर कृषि कार्य अत्यंत पुरानी तरीके से करते थे।

वर्तमान समय में बिरहोर की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है बिरहोर अब घुमन्तु जीवन को त्याग कर स्थाई रूप से बस गये हैं एवं राज्य शासन इनके समुचित विकास करने हेतु बिरहोर विकास प्राधिकरण जशपुर एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना–धरमजयगढ़ का गठन किया गया है जो बिरहोर के विकास हेतु कार्य कर रही है अभिकरण की ओर से इन्हे स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं अधिकांश को कृषि भूमि के पट्टे दिये गये है जिससे ये खेती का कार्य करने लेगे है।

जंगली जानवरों के शिकार तथा बंदर पकड़ना प्रतिबंधित होने कारण बिरहोर अब सीमित मात्रा में लुक छिपकर शिकार करते है। इस प्रकार शिकार करना अब लगभग समाप्त हो गया है।

कृषि कार्य करने के कारण बिरहोर अब गाय, बैल, बकरा, बकरी, मुर्गी भी पालने लगे है। स्थायी निवास करने के कारण इन पशुओं की देख रेख करना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है।

बिरहोर जनजाति का परम्परागत मुख्य व्यवसाय जंगली पेड़ों, तना, छाल से रस्सी निकालना एवं स्थानीय बाजारों में विक्रय करना है। परम्परागत व्यवसाय होने के कारण बिरहोर आज भी इस कार्य को करते हुए जीवन यापन करते है। पहले जंगली लता अथवा पेड़ की छाल से रस्सी बुनते थे परन्तु अब पटसन, पटवा एवं प्लास्टिक की रस्सी से तरह–तरह की घरेलु उपयोग की सामग्री तैयार कर बेचते है। इसके अतिरिक्त बांस शिल्प का कार्य जैसे सूपा, टोकरी, झोड़ी एवं छिंद पेड़ के पत्तों से चटाई बनाते है व स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में घुम–घुमकर बेचते है। शादी विवाह तथा अन्य अवसरों में बिरहोर बाजा बजाकर पैसा भी कमाते है अभाव के दिनों में बिरहोर भिक्षावृत्ति भी करते है। सर्वेक्षित परिवारों से प्राप्त जानकारी के

अनुसार बिरहोर जनजाति के आय स्त्रोत एवं उनसे प्राप्त आमदनी का विवरण एकत्रित किया गया है।

9.4 सर्वेक्षित परिवारों की आय :–

दो विकासखण्डों के ग्रामों में निवासरत बिरहोर परिवारों का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। इन परिवारों में परिवार सर्वेक्षण अनुसूची भरी गई है जिसके आधार पर 120 बिरहोर परविारों के आय के स्त्रोत तथा उससे प्राप्त आमदनी का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

तलिका क्र. 9.4 सर्वेक्षित बिरहोर परिवारों की विभिन्न स्त्रोतों से आय

क्र	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	स्त्रोतवार आय						योग
			कृषि	मजदूरी	वनोपज संग्रहण	पशुधन	नौकरी	रस्सी निर्माण	
1	बुलडेगा	32	114500	559200	10550	–	129600	252600	1071850
2	बरपानी	10	11200	88000	7300	–	248200	–	410500
3	सिंवार	01	–	4000	–	–	–	–	4000
4	खर्रा	20	–	372000	84880	–	264000	–	602080
5	रायमेर	12	–	46500	6424	–	–	16400	–
6	ओंगना	07	30000	82000	30600	10000	216000	–	368600
7	सकरलिया	10	–	54000	31500	–	–	–	94500
8	जमरगा	06	–	44000	10800	–	–	–	54800
9	रूंवॉफुल	22	–	168750	42950	–	240000	–	451700
		120	155700	1418450	225004	10000	1097800	269000	3127114

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिरहोर जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक आय का स्त्रोत मजदूरी है मजदूरी मद से प्राप्त कुल आय 1418450 रूपए है। जो विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का 45.36 प्रतिशत भाग है। इस प्रकार 120 सर्वेक्षित परिवारों के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की गणनाफलक से स्पष्ट होता है कि बिरहोर लोग मजदूरी से सबसे अधिक आय प्राप्त करते है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिरहोर जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में सर्वेक्षित आय का स्त्रोत मजदूरी है। मजदूरी मद से प्राप्त कुल आय 1418450 रूपये है जो विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का 45.36 प्रतिशत भाग है। मजदूरी कार्य में कुल 120 सर्वेक्षित परिवारों में से 40 परिवार कृषि मजदूरी कार्य करते है।

तालिका क्र. 9.4.1

क्र.	आय का स्त्रोत	राशि	कुल आय से प्रतिशत
1	कृषि	155700	4.98
2	कृषि मजदूरी	1415450	45.36
3	वनोपज संग्रहण	225004	7.20
4	पशुधन से आय	10000	0.32
5	रस्सी विक्रय	269000	8.60
6	नौकरी	1097800	35.11
	योग	**3127114**	**100**

कृषि मजदूरी के पश्चात् सरकारी नौकरी से प्राप्त आय राशि 10,97800 रूपये है जो कुल आय का 35.11 प्रतिशत भाग है। सरकारी नौकरी के पश्चात रस्सी विक्रय से आय राशि 269000 रूपये है। जो कुल आय का 8.60 प्रतिशत है एवं वनोपज संग्रहण से आय राशि 225004 रूपए है जो कुल आय का 7.20 प्रतिशत भाग है। इसके बाद क्रमशः कृषि से आय राशि 155700 रूपये है जो कुल आय का 4.98 प्रतिशत भाग है व पशुधन से आय राशि 10000 रूपए है जो कुल आय का 0.32 प्रतिशत है। सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय राशि 26059 रूपए है बिरहोर जनजाति अपनी परम्परागत व्यवसाय रस्सी बनाने के कार्य को छोड़कर अब कृषि मजदूरी, शासकीय नौकरी, वनोपज संगहण एवं कृषि कार्य की ओर आकर्षित हो रहे है। छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी जनजातियों की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है लेकिन बिरहोर जनजाति घुमन्तु प्रवृत्ति होने व कृषि कार्य पुरानी पद्धति से करने के कारण बिरहोर अभी भी कृषि कार्य में पीछे है।

बिरहोर परिवारों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्त्रोतों का विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) कृषि :–

बिरहोर जनजाति के लोग पूर्व में खेती नहीं करते थे। घुमन्तु जीवन व्यतीत करने के कारण घर के आसपास थोड़ी सी जमीन साफ करके मोटे अनाज तथा सब्जी

भाजी पैदा करते थे। अन्य जनजातियों की तरह ये स्थायी कृषि नहीं करते थे। इन्हे स्थायी आवास तथा कृषि भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात अब खेती करने लगे है। सर्वेक्षित 120 परिवारों में 52 बिरहोर परिवारों के पास भूमि के पट्टे है। जबकि 68 बिरहोर परिवार अभी भी भूमिहीन है। ग्रामवार भूमिधारिता की स्थिति निम्नानुसार है :–

तलिका क्र. 9.4.2 बिरहोर परिवारों की भूमि धारिता

क्र.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवार की संख्या	भूमिधारी परिवार की संख्या	भूमिहीन परिवार की संख्या	कुल भूमि (हेक्टर में)
1	बुलडेगा	32	13	19	11.546
2	बरपानी	10	06	04	2.40
3	सिंवार	01	01	–	0.40
4	खर्रा	20	08	12	2.384
5	रायमेर	12	–	12	–
6	ओंगना	07	06	01	15.00
7	सकरलिया	10	02	08	5.00
8	जमरगा	06	01	05	0.40
9	रूंवॉफुल	22	15	07	30.00
	योग	**120**	**52**	**68**	**67.14 हे.**

औसत भूमि धारिता सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारें में से 68 परिवार भूमिहीन है जबकि 52 परिवार के पास स्वयं की भूमि है बिरहोर परिवारों के पास सीमित मात्रा में ही कृषि भूमि उपलब्ध है अधिकांश बिरहोर परिवार सीमांत कृषक की श्रेणी में है।

इस प्रकार भूमिधारी बिरहोर परिवारों के औसत रूप से प्रति परिवार औसत भूमि 1.29 हेक्टर है बिरहोर बहुत कम जमीन में खेती कर रहे है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बिरहोर पूर्व में जिस भूमि पर खेती करते थे उसे छोड़कर वे अन्यत्र चले जाते थे जिससे उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी। बिरहोर विकास अभिकरण के गठन के पश्चात इन्हे भूमि उपलब्ध कराई गई है लेकिन ये कृषि कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं देते है। इसलिए कृषि से उत्पादन भी बहुत कम होती है एवं अधिकांश बिरहोर परिवारों के पास आज भी कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है।

(ब) मजदूरी :–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजदूरी से प्राप्त आय का स्थान महत्वपूर्ण होता है बिरहोर जनजाति के संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उनकी सर्वाधिक आय अर्थात 45.36 प्रतिशत मजदूरी से प्राप्त होता है। मजदूरी से प्राप्त आय की गणना करते समय कृषि मजदूरी तथा गैर कृषि मजदूरी से प्राप्त आय को पृथक–पृथक न कर एक साथ तालिका मे दिखाया गया है बिरहोर जनजाति में कृषि भूमि कम होने के कारण इस जनजाति के लोग कृषि मजदूरी तथा गैर कृषि मजदूरी से जीविका पार्जन करते है। इन कार्यो में मर्द औरत तथा बच्चे सम्मलित रूप से कार्य करते है। जिससे प्रत्येक सदस्य को मजदूरी के रूप में आमदनी होती है। मजदूरी के कार्यो में खेतीबाड़ी का कार्य जैसे–निदाई, फसल रोपाई, गोड़ाई, फसल कटाई तथा मिसाई का कार्य ग्राम विकास की कार्य जैसे सड़क, पुल, तालाब, शासकीय भवन एवं वन विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्य प्रमुख है।

(स) वनोपज संग्रहण :–

बिरहोर जनजाति के लोग जंगल के आस–पास निवास करते है तथा अपने उदरपूर्ति के लिए जंगली वनोपज जैसे तेन्दुपत्ता, चार, महुआ, हर्रा, भोयलिम पत्ती, बहेड़ा, कोसा, गोंद, लाख आदि का संग्रहण करते है तथा स्थानीय बाजार में विक्रय करते है और इससे अच्छी खासी आमदनी कमाते है। प्राय : बरसात के मौसम को छोड़कर वर्ष भर जंगली वनोपज का सीजननुसार संग्रहण करते है। सर्वेक्षित 120 परिवारों मे वनोपज से आय राशि 225004 रूपए आय अर्जित किया है जो उनके कुल का 7.20 प्रतिशत है इस प्रकार हम कह सकते है कि बिरहोर परिवार की जीवन जंगलों पर आधारित है।

(द) कुटीर उद्योग :–

बिरहोर जनजाति का परम्परागत व्यवसाय जंगली वनों जैसे, मोहलाईन, सेहाई, कहुआ, अदल, सागी, आदि पेड़ों के तना से रस्सी निकालना व रस्सी निकाकर उससे सिका , डोरा, बैहंका, गेरवा, खसड़ा आदि तैयार कर स्थानीय बाजारों एवं आस–पास के क्षेत्रों में विक्रय करते थे लेकिन वर्तमान समय में बिरहोर जनजाति के

लोग जंगली पेड़ों तनों से रस्सी के साथ, प्लास्टिक (सीमेंट के पुराने बोरी एवं रासायनिक खादों की बोरी) आदि को संग्रहित करते है व अपने घरों में ढेरा के माध्यम से रस्सी बनाते है व स्थानीय बाजारों में विक्रय करते है रस्सी के साथ बिरहोर जंगलों में पाये जाने वाले छिंद के पेड़ के पत्ती से चटाई बुनते है तथा जंगली बांस से अनेक प्रकार की शिल्प जैसे – सुपा, झाड़ू, टोकरी आदि तैयार कर स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रो में बेचकर आमदनी कमाते है।

(द) अन्य स्त्रोत :–

बिरहोर जनजाति के अन्य स्त्रोंतो में प्रमुख पशुपालन का कार्य है बिरहोर बैल, गाय, मुर्गा, मुर्गी तथा बकरी, बकरा पालते है। सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों के पास बैलों की संख्या 17 कीमत 32000 रूपए, भैंस 02 कीमत 5000 रूपए, बकरा–बकरी संख्या 13 कीमत 5800 रूपए है। ग्रामवार पशुधन की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 9.4.3 सर्वेक्षित बिरहोर परिवारों में पशुधन की स्थिति

क्र	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	पशु				
			गाय	बैल	भैंस	मुर्गा/मुर्गी	बकरा/बकरी
1	बुलडेगा	32	–	–	–	–	–
2	बरपानी	10	–	11	–	01	01
3	सिंवार	01	–	–	–	–	–
4	खर्रा	20	–	–	–	53	–
5	रायमेर	12	–	–	–	–	–
6	ओंगना	07	–	–	–	–	09
7	सकरलिया	10	–	06	–	07	03
8	जमरगा	06	–	–	–	–	–
9	रूंवॉफुल	22	–	–	02	–	–
	योग	120	–	17	02	61	13

इस प्रकार बिरहोर परिवारों में पशुधन रखने की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है जबकि अन्य जनजाति के लोग अपने घर में सामान्यतः गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी व सुअर आदि पालकर रखते है एवं इससे अच्छी खासी आमदनी कमाते है। फिर भी हम कह सकते है कि बिरहोर अर्थव्यवस्था में पशुधन का भी महत्वपूर्ण स्थान है और बिरहोर पशुधन जैसे–बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी बैल आदि को बेचकर बिरहोर अपने आय के स्त्रोत में वृद्धि करते है।

9.5 बिरहोर परिवारों में व्यय के मद :–

सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों में व्यय ज्ञात करने हेतु विभिन्न मदों में किये व्यय की जानकारी एकत्रित किया गया है। जिसमें भोजन, मकान, कपड़े, शिक्षा, सामाजिक कार्य, आभूषण, चिकित्सा, मद्यपान व अन्य व्यय पर अलग–अलग जानकारी ली गई है। सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों द्वारा विभिन्न मदों में किये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है।

तलिका क्र. 9.5 सर्वेक्षित बिरहोर परिवारें में मदवार व्यय का विवरण

क्रं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	भोजन	मकान	कपड़े	शिक्षा	सा.कार्य	धार्मिक कार्य	आभूषण	चि. व्यय	मद्यपान	अन्य
1	बुलडेगा	32	467890	70510	194400	30480	35450	–	53100	94960	41510	81450
2	बरपानी	10	149000	44000	59000	12500	53500	5500	12000	12000	14000	56000
3	सिंवार	01	1500	500	1000	–	500	–	–	–	–	500
4	खर्रा	20	468300	10000	92580	25000	9000	2000	17000	5000	5000	–
5	रायमेर	12	4000	–	1500	–	–	600	–	–	–	630
6	ओंगना	07	143200	12300	41200	3600	55000	6900	49000	23300	6700	124500
7	सकरलिया	10	34000	–	18000	–	10500	12000	–	2500	9000	–
8	जमरगा	06	37500	–	9500	–	4400	–	–	–	–	–
9	फवॉफुल	22	143100	–	39700	–	15250	—	–	–	–	–
योग		120	1448490	137310	456880	71580	183600	27000	87000	137760	76210	263080
प्रतिशत			49.39	4.68	15.58	2.44	6.26	0.92	2.97	4.70	2.60	8.97

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 120 सर्वेक्षित बिरहोर परिवारों में सर्वाधिक राशि 1448490 रूपए भोजन पर खर्च किया जाता है। भोजन पर किया गया व्यय कुल व्यय का 49.39 प्रतिशत है। यह इस बात का घोतक है कि बिरहोर जनजाति जो कुछ कमाते है उससे मुश्किल से उनकी उदरपूर्ति हो पाती है पिछड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात गरीबी में जीवन यापन करने वालों का भोजन पर सर्वाधिक व्यय होता है जबकि अन्य मदों में खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते है अथवा अल्प राशि उपलब्ध रहती है। भोजन के पश्चात सर्वाधिक राशि कपड़ा क्रय करने पर खर्च करते है जो कुल व्यय राशि का 15.58 प्रतिशत है। कपड़े पर व्यय हालांकि अधिक नहीं है केवल अनिवार्य अंगों को ढकने के लिए बिरहोर सीमित मात्रा में कपड़ों का उपयोग करते है। भोजन के उपरांत जो राशि बचती है उससे कपड़ा पहनना अनिवार्य होने के कारण

इस मद में बिरहोर खर्च करते है।

बिरहोर जनजाति के जीवन में पर्वो तथा त्यौहारों का अधिक महत्व है। इन त्यौहारों को मनाने में परिवार के सदस्य तथा उनके रिश्तेदार सक्रिय रूप से हिस्सा लेते है। त्यौहारों में खानपान, नाचगान के अतिरिक्त शराब, बीड़ी तम्बाकू तथा मांस आदि का उपयोग करते है। एकत्रित जानकारी के अनुसार समाजिक कार्य मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार में किए गए व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 6.26 प्रतिशत एवं धार्मिक कार्य त्यौहारों में किए गए व्यय का हिस्सा कुल व्यय का 0.92 प्रतिशत है।

बिरहोर जनजाति में बच्चे के जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक के धार्मिक अनुंष्ठान एवं त्यौहार आदि में शराब का सेवन किया जाता है। सामान्यतः बिरहोर चॉवल से बने शराब का उपयोग करते है इसके साथ महुआ के शराब का उपयोग भी प्रचलन में है बिरहोर दुकान से खरीद कर शराब का सेवन कम मात्रा में करते है। इस प्रकार घर में तैयार किए गए शराब का प्रचल ही अधिक है प्रायः प्रतिदिन बिरहोर मर्द औरत तथा बच्चे शराब का सेवन करते है। घर की बनी हुई शराब होने के कारण वास्तविक मूल्य का आंकलन नहीं किया गया है। अन्यथा इसका प्रतिशत और अधिक होता। फिर भी उनके द्वारा बताये अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर इस मद में किया व्यय 2.60 प्रतिशत है।

आवास निर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाता है एवं इसके निर्माण में परिवार के सदस्य कार्य करते है। जिससे दूसरों को पारिश्रमिक देना नहीं पड़ता है। फिर भी कुछ सामग्री जैसे–कवेलु, कील, तार आदि पर व्यय होता है आवास निर्माण तथा मरम्मत में किया गया व्यय कुल व्यय का 4.68 प्रतिशत है। बिरहोर जनजाति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक नहीं है। बीमार पड़ने पर वे स्थानीय बैगा, गुनिया से झाडफूक कराते है बिरहोर बीमारी को देवी का प्रकोप मानते है। जिसके कारण वे झाडफूक तथा देशी जड़ी बूटी का सेवन करते है। झाडफूक तथा देशी जड़ी बूटी के सेवन से जब तबियत ठीक नहीं होती है तब बिरहोर अपने गांव के आस–पास में अस्पाताल में इलाज कराने हेतु जाते है। बिरहोर बीमार होने पर चिकित्सा में किया गया व्यय कुल व्यय का 4.70 प्रतिशत है। इस प्रकार कहा जा

सकता है कि पहले की तुलना में अब बिरहोर पर अपने बीमारी की ईलाज हेतु शासकीय चिकित्सालय एवं डाक्टरों के पास जाने लगे है।

बिरहोर वर्तमान में जीते है भविष्य की चिन्ता नहीं करते है, बिरहोर बच्चों को पढ़ा लिखाकर शिक्षित एवं भविष्य में पैसा कमाने योग्य नहीं बनाते है, बिरहोर शिक्षा पर किये गये व्यय को फालतु समझते है। पूर्व में बिरहोर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेजने थे लेकिन शिक्षा का प्रचार–प्रसार होने एवं शासन द्वारा निःशुल्क किताब, कापी ड्रेस प्रदाय करने के कारण बिरहोर अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं तथा शासन स्तर पर बच्चों के लिए छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की गई है तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कि जाती है। शासन द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी पालक को कुछ खर्च करना पड़ता है। सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय कुल व्यय का 2.44 प्रतिशत है।

बिरहोर जाति के मर्द बच्चे एवं औरतें अपने शारीरिक सौन्दर्य करने हेतु आभूषण जैसे– चुड़ी, गुलट, छल्ला, मुंदी एवं स्थानीय बाजारों में कम मूल्य में मिलने वाली आभूषण पहनते है खासकर त्यौहारों, उत्सवों के अवसर पर बिरहोर आभूषण पहनकर नाच गान करते है। सर्वेक्षित 120 बिरहोर परिवारों द्वारा आभूषण पर किया गया व्यय कुल व्यय का 2.97 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि बिरहोर कम मूल्य के हल्की धातु के आभूषण धारण करते है।

9.6 आय व्यय की समीक्षा :–

बिरहोर जनजाति की प्रति परिवार औसत आय राशि 26059 रूपए एवं प्रति परिवार औसत व्यय राशि 24441.75 रूपए है। बिरहोर जनजाति के लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है। क्योकि बिरहोर जनजाति की आय बहुत कम है और अपनी इस आमदनी से बिरहोर अपने मूल–भूत आवश्यकताओं जैसे– भोजन, मकान, कपड़े आदि को ही पूरा कर पा रहे है। इनके बचत करने की क्षमता नगण्य है। इनके व्यय के आंकड़ों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि बिरहोर अपने आय की सर्वाधिक हिस्सा भोजन पर खर्च करते है। भोजन के बाद जो आय बचती है उसे अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करते है।

अध्याय-दस

शैक्षणिक स्थितियां

10.1 सर्वेक्षित परिवारों की सदस्य संख्या :–

ऊपर उल्लेखित अनुसार बिरहोर बाहुल्य क्षेत्र के दो विकासखण्डों के 9 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य किया गया है। बिरहोर जनजाति गिने–चुने ग्रामों में सीमित संख्या में निवास करती है। ग्रामवार बिरहोर परिवारों की संख्या जनसंख्या निम्नानुसार है।

तलिका क्र. 10.1 ग्रामवार बिरहोर परिवार एवं जनसंख्या

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवार संख्या	बिरहोर जनसंख्या		
				पुरूष	महिला	योग
1	पत्थलगांव	बुलडेगा	32	53	47	100
2	धरमजयगढ़	बरपानी	10	17	14	31
3	———,———	सिंवार	01	–	01	01
4	———,———	खर्रा	20	38	41	79
5	———,———	रायमेर	12	20	22	42
6	———,———	ओंगना	07	22	11	33
7	———,———	सकरलिया	10	11	12	23
8	———,———	जमरगा	06	15	08	23
9	———,———	कुवांफुल	22	32	33	65
योग			**120**	**208**	**189**	**397**

उपरोक्त तालिका के अनुसार 120 बिरहोर परिवारों की कुल सदस्य संख्या 397 है। इस प्रकार औसत प्रति परिवार सदस्य संख्या 3.31 है। 397 सदस्यों में से 208 पुरूष तथा 189 महिलायें है इस प्रकार पुरूष एवं महिलाओं का अनुपात लगभग समान है।

अन्य जनजातियों में पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक होती है जबकि बिरहोर जनजाति में पुरूष अधिक है।

10.2 बिरहोर जनजाति में साक्षरता :–

बिरहोर जनजाति में साक्षरता की स्थिति ज्ञात करने हेतु परिवार अनुसूची में सर्वेक्षित परिवार के सदस्यों के शिक्षा का स्तर जानने हेतु व्यवस्था की गई है। परिवार

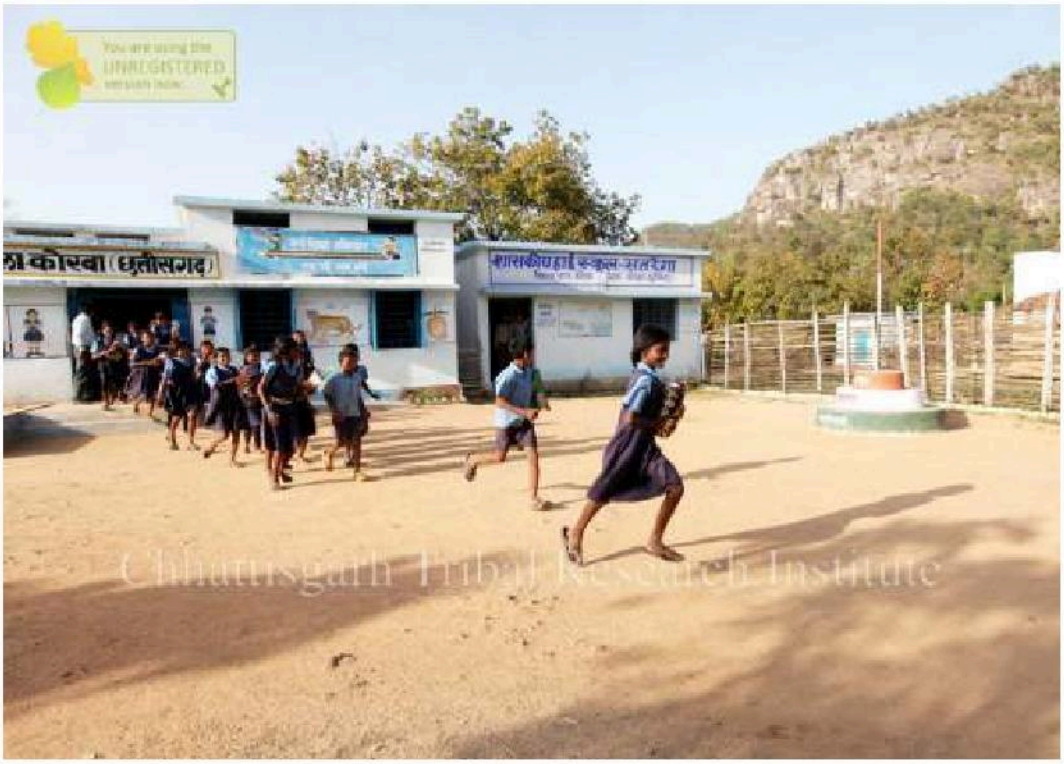
You are using an
UNREGISTERED
कोरबा (छत्तीसगढ़)

अनुसूची से एकत्रित जानकारी के अनुसार ग्रामवार साक्षर एवं निरक्षर सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवार की सदस्य संख्या	साक्षर की स्थिति		शैक्षणिकस्तर			
			साक्षर संख्या	निरक्षर संख्या	प्राथ.	माध्य.	हाय. से.	स्नातक
1	बुलडेगा	100	31	69	25	06	–	–
2	बरपानी	31	08	23	04	04	–	–
3	सिंवार	01	–	01	–	–	–	–
4	खर्रा	79	18	61	11	07	–	–
5	रायमेर	42	07	35	07	–	–	–
6	ओंगना	33	24	09	12	12	–	–
7	सकरलिया	23	02	21	–	06	–	–
8	जमरगा	23	11	12	05	11	–	–
9	रूवांफुल	65	23	42	11	–	01	–
		397	124	273	75	48	01	–

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित बिरहोर परिवारों के 397 सदस्यों में से केवल 124 सदस्य अर्थात 31.23 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। जबकि 273 सदस्य अर्थात 68.77 प्रतिशत निरक्षर है। इन साक्षर व्यक्तियों में से 75 प्राथमिक स्तर तक 48 माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किए है जबकि केवल एक व्यक्ति, हायर सेकेण्डरी स्तर में अध्ययन किये है। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति की संख्या शुन्य है। सन् 2001 की जनगणना में बिरहोर की साक्षरता प्रतिशत 35.43 है जिसमें पुरूष साक्षरता 35.45 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 14.84 प्रतिशत है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि बिरहोर न तो स्वयं स्कूल जाते है और न ही बच्चों को शाला भेजते थे। घुमन्तु जीवन व्यतीत करने के कारण बच्चों को पढ़ाना कठिन था। अब स्थायी रूप से निवास करने तथा टोले मजरों में शैक्षणिक संस्था खुलने से शाला जाने योग्य बच्चे पढ़ने लगे है। इनके फलस्वरूप बिरहोर जनजाति के साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है।

अध्याय-ग्यारह

सामाजिक परिवर्तन

बिरहोर जनजाति में शिक्षण व्यवस्था का बढ़ता स्वरूप तथा शहरी सम्पर्क संचार व्यवस्था तथा शासकीय प्रयासों द्वारा आर्थिक उन्नति के लिये किये गये प्रयासों के कारण बिरहोर लोगों की सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन धीरे–धीरे आ रहा है जिसे निम्न प्रकार बांट सकते है :–

11.1 मौतिक संस्कृति में परिवर्तन :–

किसी भी जनजाति में अन्य परिवर्तन की अपेक्षा उसकी भौतिक संस्कृति में हुये परिवर्तन स्पष्ट देखे जाते है जैसे :–

(अ) आवास में परिवर्तन :–

वर्तमान में बिरहोर जनजाति के घर घास की जगह खपरैल तथा कहीं–कहीं मिट्टी के स्थान पर ईट का प्रयोग करने से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है घरों का आकार बड़ा–बड़ा तथा एक या दो कमरे के स्थान पर तीन–चार कमरे होना सामाजिक प्रतिष्ठा के भी अनुरूप होता है।

(ब) घरेलू सामग्रीयों में परिवर्तन :–

घर में बर्तन पीतल, कांसा व एल्युमुनियम तथा सायकल, रेडियो एवं गहने आदि से भी बिरहोर जनजाति में नया परिवर्तन दिखाई देता है। वस्यक पुरूष हाथ में घड़ी पहनते तथा कहीं कहीं अच्छा काम मिलने पर घर की आर्थिक स्थिति में खुद ही परिवर्तन दिखाई देता है।

(स) शारीरिक स्वच्छता तथा श्रृंगार :–

बिरहोर जनजाति के स्त्री पुरूषों में घीरे–धीरे स्वच्छता एवं श्रृंगार के प्रति काफी लगाव है पुरूष अब कमीज, पैन्ट कोट, जेकेट, बनियान, स्वेटर आदि तथा औरतें धोती, साड़ी ब्लाउज फीता पाउडर, बिन्दी काजल आदि को प्रयोग करती है तथा पुराने गहनों की अपेक्षा वर्तमान नये गहने पायल, कुंडल टायस, चूंडिया आदि का प्रचलन खुब पाया जाता है।

(द) भोजन में परिवर्तन :–

भोजन में अब पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर खाना बनाते व खाते है चांवल, रोटी सब्जी आदि भोजन बनाया जाता है सुबह शाम चाय भी बनाई जाती है तथा मांस–मछली का भी खुब उपयोग किया जाता है।

11.2 आर्थिक जीवन में परिवर्तन :–

बिरहोर जनजाति का मुख्य आर्थिक स्त्रोत रस्सी बनाकर बेचना है पहले जंगली पेडों के तनों से रस्सी निकालते थे अब प्लास्टिक से रस्सी बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे है। कृषि कार्य भी करते है इन कार्यो हेतु इन्हे खाद बीज आदि सेवा सहकारी समितियों से दिया जाता है इसके अलावा कृषि कार्यो के लिए एवं बैलों के लिए समय–समय पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। जिससे ये लोग अपनी जमीन को खाद व समय पर जोतकर अधिक उन्नत बना सके तथा बनोपज की सही मुल्य मिले इस हेतु सरकार बनोपज समितियों का वनोपज खरीदेन हेतु अधिकृत किया है ताकि इनकी शोषण न हो।

11.3 सामाजिक परिवर्तन :–

बिरहोर जनजाति में सामाजिक परिवर्तन भी देखे जाते है जैसे पहले जनजाति की उपजाति अथवा अन्य जनजातियों के यहां खान पान नहीं होता था। किन्तु अब पहले जैसा कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, पहले सभी संयुक्त परिवार में रहते थे, किन्तु अब अलग–अलग एवं एकल परिवार में रहना पसंद करते है।

11.4 जीवन चक्र में परिवर्तन :–

बिरहोर जनजाति में अब प्रसव पीड़ा के समय गांव के सुइन के साथ नजदीकी चिकित्सालय की नर्स या डाक्टर को बुलाते है या चिकित्सालय में ले जाते है किसी की तबियत खराब होने पर झांड–फुक के अलावा डॉक्टर की दवा भी दी जाती है तथा प्रसव के समय प्रसूता को काजू, मावा, बादाम, चिरौंजी आदि की लड्डू खिलाये जाते है।

11.5 शैक्षणिक परिवर्तन :–

बच्चों को पहले की अपेक्षा अब स्कूल भेजा जाता है तथा परिवार में पिता बड़ा

भाई या बहन छोटे भाई बहन को पढ़ाते है तथा शिक्षा के बारे में उन्हें सिखाते है कि पढ़ोगे तभी आगे चलकर बड़े बनोगे जिससे अधिकतर लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लगे हैं।

11.6 धार्मिक जीवन का लोक कलाओं में परिवर्तन :–

बिरहोर जनजाति में धीरे–धीरे भूत–प्रेत जादू–टोना में विश्वास कम होता जा रहा है तथा उसके स्थान पर शिक्षा के परिणाम स्वरूप वर्तमान पीढ़ी में पुरानी मान्यतायें कम होती जा रही है तथा पुरानी देवी देवताओं के साथ अब शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान आदि की पूजा करते है तथा इन चित्रों को घर में सजाकर रखते है।

इसके साथ ही साथ पुरानी कला के साथ उपरोक्त देवी–देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है।

11.7 घुमक्कड एवं शिकारी जीवन में परिवर्तन :–

बिरहोर जनजाति पहले किसी एक स्थान पर स्थिर निवास नहीं करते थे। किन्तु वर्तमान समय में एक निश्चित स्थान पर निवास करते है बिरहोर पहले जंगली जानवरों की शिकार करते थे किन्तु शासन द्वारा जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के कारण अब शिकार नहीं करते है। जिसे शासन को इनके विकास हेतु योजना बनाने में सहुलियत हुई है अब शासन द्वारा बिरहोर परिवारों को सामाज की मुख्य धारा में जोड़ने कई प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

अध्याय-बारह

समस्याय एवं सुझाव

बिरहोर जनजाति के लोगो की बदलते परिवेश में कई समस्याएँ पैदा हुई है :–

12.1 आर्थिक समस्या :–

बिरहोर जनजाति घुमन्तु प्रकृति होने के कारण आज भी अधिकांश बिरहोर परिवारों के पास कृषि करने हेतू जमीन नहीं है, और जिन बिरहोर परिवारों के पास जमीन उपलब्ध है, उनके पास अभी भी सिंचाई का कोई साधन नहीं है, उन्हे वर्षा के उपर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे खेती में पैदावार कम होती है। तथा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है।

बिरहोर जनजाति कृषि की उन्नत तकनीकी से अभी भी अनभिज्ञ है, तथा उन्नत खाद् बीज व कीटनाशक दवाओं के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उसका उपयोग खेती में कम करते हैं। इन कमीयों को दुर करना आवश्यक है।

बरहोर जनजाति के लोग पशुधन जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, आदि भी पालते हैं, लेकिन इनकी नस्ल उतनी अच्छी नहीं कि वह अच्छी दूध दें, जिससे कुछ आमदनी प्राप्त हो और आर्थिक स्तर में सुधार हो सकें।

बिरहोर जनजाति निवासरत क्षेत्रों में लघु, कुटीर उधोगों की कमी है, इन उधोगों की कमी के कारण इन्हें रोजगार नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। अतः इन क्षेत्रों में शासन स्तर पर छोट–मोटे उघोग खोलने की आवश्यकता है। ताकि इन लोगों को सालभर रोजगार मिल सकें।

12.2 सामाजिक समस्याऐं :–

बिरहोर जनजाति के सामाजिक परिवेश में आये बदलाव को जाति के वृद्ध लोग सहन नहीं कर पाते जिससे नये लड़के व लड़कियों को अपने घरवाले के सामने चुप रहना पड़ता है। लड़की की अधिक उम्र होने पर या थोड़ा बड़ जाने पर उसके योग्य वर नहीं मिल पाता है।

12.3 शैक्षणिक समस्याएं :–

बिरहोर जनजाति में शिक्षा के प्रति लगाव तो है किन्तु आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते है उसे अपने कार्य में लगा देते है या फिर पाठशाला अधिक दूर हो जाने से नहीं भेज पाते, किन्तु अब यह समस्या खत्म होने लगी है, क्योकि पाठशालाएं गांव के नजदीक खुल रही है।

12.4 स्वास्थ्य संबंधी समस्या :–

बिरहोर जनजाति की एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है क्योंकि गांव में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर सबसे पहले झाड़फूक या किसी बैगा के पास इलाज के लिए जाते थे जब वहां काम नहीं बनता है, तो किसी डॉक्टर के पास ईलाज कराने जाते है, तब तक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण बिरहोर बच्चों एवं माताओं को समय पर टिका नहीं लग पाता है जिसे बच्चें कुपोषित पैदा होते है, तथा गरीबी के कारण गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार भी नहीं मिल पाता है।

12.5 निष्कर्ष एवं सुझाव :–

बिरहोर जनजाति आज भी विकास की मुख्यधारा से काफी पिछड़ा हुआ है, हॉलांकि शासन स्तर पर भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और इनके विकास हेतु, बिरहोर विकास प्राधिकरण एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित किया गया है। इन परियोजनाओं के कारण इनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काफी सुधार हुआ है। आर्थिक स्तर में सुधार हेतु शासन स्तर पर बिरहोर परिवारों को जिनके पास आवास नहीं है उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया गया है, तथा भूमि हीन परिवारों को कृषि कार्य करने हेतु वन भूमियों का अधिकार दिया गया है। आज बिरहोर गांव में आगनबाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक शालाएं शासन स्तर पर संचालित है तथा मुख्यमंत्री खाद्य योजनान्तर्गत प्रत्येक बिरहोर परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह चांवल एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय योजना के तहत अति निर्धन परिवारों को 10 किलो मुफ्त चांवल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बिरहोर परिवारों को दोनों वक्त का भोजन मिल रहा है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि पहले की तुलना में इनके आर्थिक स्तर, रहन–सहन, खानपान, शैक्षणिक स्तर में काफी सुधार हुआ है और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु प्रयासरत है।

1. सुझाव :–

बिरहोर जनजाति की आर्थिक स्तर में सुधार हेतु शासन द्वारा कृषि कार्य करने हेतु जो जमीन उपलब्ध कराया गया है, बिरहोर अत्यंत गरीब होने के कारण इन्हें खेत नहीं बना पाये है अर्थात जो जमीन उनके पास है वह भर्री भाठा जैसा है। जिसमें अधिक मात्रा में कोदों कुटकी का ही खेती किया जा सकता है, शासन की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिरहोर परिवारों की भूमि को खेत में परिवर्तन किया जा सकता है। जब भर्रीभाढ़ा खेत में परिवर्तन होगा तो उस खेत में धान, गेंहू आदि की खेती किया जा सकता है। जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा।

2. बिरहोर प्रारंभ में घुमन्तु प्रवृत्ति के होने के कारण कृषि कार्यो के बारे में इन्हे तकनीकि जानकारी नहीं है, इन्हे निपूर्ण कृषक बनाने हेतु शासन के कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने की जरूरत है, इन्हे उत्तम बीज, खाद, दवाईयों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जिसके कारण बिरहोर बरसात के दिनों में जमीन की जोताई करके बीज डाल देते है। तकनीकि जानकारी के अभाव में उपज अत्यंत कम होता है।

3. बिरहोर जनजाति की परम्परागत व्यवसाय जंगली वनों के तनों से रस्सी निकालना तथा रस्सी निकालकर बिरहोर अपने पुराने उपकरण (ढेरा) से अनेक प्रकार की घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाते है, चूकि बिरहोर रस्सी बनाने में निपूर्ण है यदि इन क्षेत्रों में रस्सी बनाने वाले कोई लघु/कुटीर उद्योग लगाया जाय और इन कुटीर उद्योगों में इन्हें रोजगार से जोड़ा जाय तो इनके बेरोजगारी की समस्याओं का निदान किया जा सकता है और इनके आर्थिक स्तर में सुधार किया जा सकता है।

4. बिरहोर जनजाति की जीवन जंगली वनोपज पर आधारित है, बिरहोर जनजाति वनोपज जैसे– महुवा, तेन्दुपत्ता, हर्रा, बहेरा, आंवला, साल आदि का संग्रहण करते है। बिरहोर इन वनोपज को स्थानीय बाजारों में विक्रय करते है। जहां

साहुकारों के द्वारा इनका शोषण किया जाता है, अर्थात इन्हें वनोपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, हॉलांकि शासन स्तर पर वनोपज सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिनके बारे में इन बिरहोर को जानकारी नहीं है। आवश्यकता इस बात कि है कि बिरहोर परिवारों को वनोपज सहकारी समितियों में सदस्य बनाया जाय और इनके द्वारा संग्रहित वनोपजों को वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदा जाए।

5. बिरहोर जनजाति की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने हेतु उनके निवासरत क्षेत्रों में या विकासखण्ड स्तर पर बिरहोर बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जाना चाहिए और बिरहोर को इन आवासीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इससे आने वाली बिरहोर परिवार अशिक्षित नहीं होगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हें शासकीय नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए। वर्तमान में बिरहोर जनजाति की साक्षरता दर अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे कम है।